नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

(National Securities Depository Limited)

डीमैट खाता धारकों के लिए ई - मार्गदर्शिका

विषय सूची

भूमिका...3
बुनियादी बातों के साथ प्रारंभ करें................4
पूँजी बाजार क्या है?..........4
प्रतिभूतियाँ क्या हैं?..........4
प्रतिभूतियों का प्राथमिक व द्वितीयक बाजार क्या है?.........5
पूँजी बाजार में सेबी (SEBI) की भूमिका क्या है?........5
पूँजी बाजार में एनएसडीएल (NSDL) की क्या भूमिका है?.......5
डीमैट को समझना..........................6
डीमैट का अर्थ क्या है?..........6
निक्षेपागार क्या है?..............6
निक्षेपागार खाता क्या है?.........6
निक्षेपागार भागीदार कौन है?.........6
डीमैट खाता होने के लाभ क्या हैं?......6
एनएसडीएल (NSDL) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाएँ....................7
डीमैट खाता खोलना......................7
मूलभूत सेवाएँ डीमैट खाता..............10
प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण..........................11
प्रतिभूतियों का पुनःभौतिकीकरण............................14
बाजार के कारोबार का निपटान और प्रतिभूतियों का हस्तांतरण 14
प्रतिभूतियों का पारेषण 17
नामांकन...19
प्रतिभूतियों को बंधक और गिरवी रखना.....................21
प्रतिभूतियों को उधार देना और उधार लेना..........................22
डीमैट खाते के लिए पॉवर ऑफ एटॉर्नी का प्रयोग करना 24
एनएसडीएल (NSDL) द्वारा ई-सेवाएँ. 25
स्पीड-ई.................. 25
आईडीईएएस..................26
एनएसडीएल (NSDL) मोबाइल ऐप.....................26
ई-वोटिंग.................... 26
एनएसडीएल (NSDL) की अन्य उपयोगी सेवाएँ..........26
एनएसडीएल (NSDL) समेकित खाता विवरण.........26
एसएमएस चेतावनी सुविधा.......................27
डीमैट खाते में म्यूचुअल फंड इकाई रखना......28
डीमैट खाते में अपडेट/परिवर्तन........... 30
डीमैट खाते में निगमित लाभ प्राप्त करना.........31
एनएसडीएल (NSDL) सेवाओं के लिए शुल्क................32
आपके डीमैट खाते की देखभाल करना............32
अधिक सूचना.............35
प्राप्त नहीं किए गए लाभांश/शेयरों के लिए वापसी का दावा करना..35
प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए डीमैट की अनिवार्यता.......36
निवेशक जागरुकता कार्यक्रम..................36
निवेशकों के लिए एनएसडील समाचारपत्र.............36
शिकायत निवारण......................36
निवेशक केन्द्रित अन्य सेवाएँ..................37
राष्ट्रीय कौशल रजिस्ट्री (NSR) 37
केवाईसी पंजीकरण एजेंसी (KRA). 37
राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (NAD) 37
एनआईआर (NIR) खाता (ई-बीमा खाता). 37
एनएसडीएल (NSDL) से संपर्क करें..................37
उपयोगी लिंक.....................39
उपयोग किए गए संक्षेपाक्षर...........39

भूमिका

प्रिय पाठक,

एनएसडीएल (NSDL) में रुचि के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।

भारत के प्रमुख निक्षेपागार एनएसडीएल (NSDL) ने अपना संचालन 1996 में प्रारंभ किया था। तब से, एनएसडीएल (NSDL) निक्षेपागार प्रणाली के उपयोगकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह हमारा प्रयास है कि हम निक्षेपागार प्रणाली के वर्तमान व भावी उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध सुविधाओं, लाभों और आवश्यक सावधानियों के बारे में जागरुक रखें।

हम मानते हैं कि प्रत्येक भारतीय को सिर्फ एक निवेशक नहीं बल्कि एक 'दूरदर्शी निवेशक' होना चाहिए। हम इस पुस्तिका को पढ़ने के आपके निर्णय की प्रशंसा करते हैं। इस पुस्तिका में दी गई जानकारी आपको एक 'दूरदर्शी निवेशक' बनने की ओर एक कदम उठाने में सहायता करेगी।

एनएसडीएल (NSDL) के एक छोटे परिचय के अतिरिक्त हमनें विभिन्न सेवायें जो आपको एनएसडीएल (NSDL) डीमैट खाता खोल लेने पर प्राप्त हो सकती हैं, का संक्षिप्त परिचय इस पुस्तिका में दिया है। यदि आपको अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया बेझिझक हमसे संपर्क करें। इसे बेहतर बनाने के लिए हम आपके सुझावों और प्रतिक्रिया की आशा करते हैं।

भवदीय,
एनएसडीएल (NSDL) टीम

बुनियादी बातों के साथ प्रारंभ करें

पूँजी बाजार क्या है?

सामान्य शब्दों में 'पूँजी बाजार' पूँजी या धन का बाजार है, जहाँ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए धन की आवश्यकता वाले लोग, उन्हें धन देने के इच्छुक लोगों की खोज करते हैं। अन्य शब्दों में, पूँजी बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ पर लोग विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरणों को खरीदते और बेचते रहते हैं। यह नियंत्रक (सेबी), शेयर बाजार (एनएसई / बीएसई आदि), निक्षेपागार (एनएसडीएल/सीडीएसएल) और अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं जैसे शेयर दलाल, डीपी, निधिपाल, आरटीए, व्यापारिक बैंकरों आदि से मिलकर बनता है। भारतीय पूँजी बाजार की विस्तृत संरचना चित्र संख्या 1 में दी गई है।

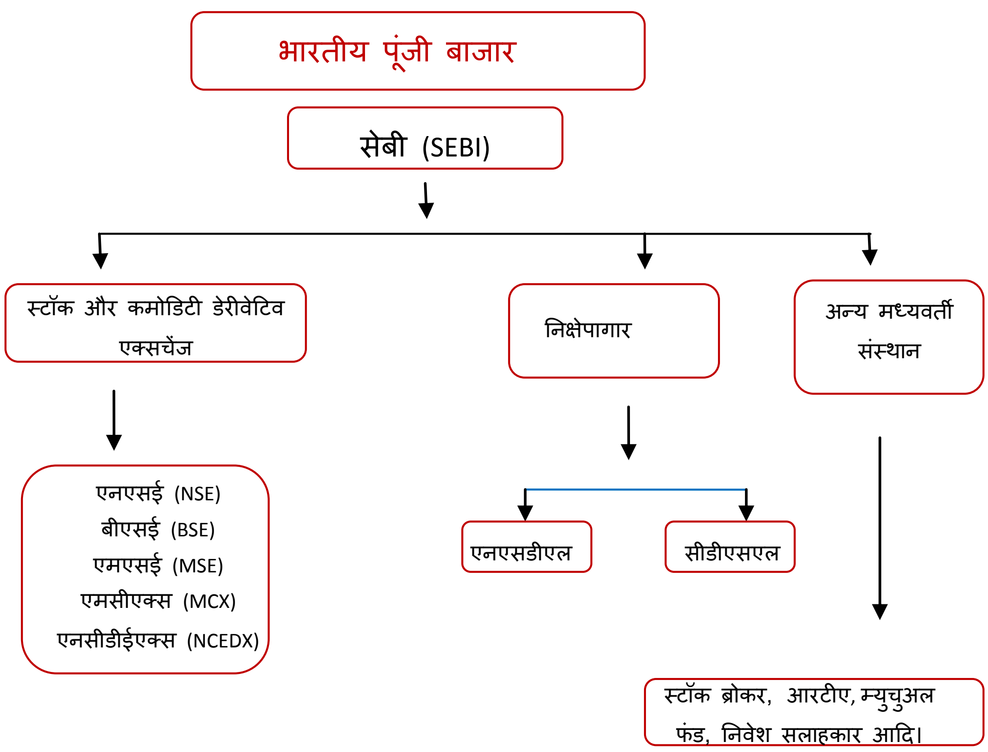

चित्र 1

प्रतिभूतियाँ क्या हैं?

प्रतिभूतियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरण हैं, जिनका पूँजी बाजार में व्यापार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, ये वे उपकरण हैं जिनके द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से धन की तलाश करने वालों को धन प्रदान किया जाता है। आइए इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। श्रीमान क एक जाने-माने उद्यमी और कखग लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक हैं। वे कखग लिमिटेड के नाम के साथ एक नया सीमेंट प्लांट प्रारंभ करना चाहते हैं। इसके लिए एक बड़ी धनराशि (पूँजी) की आवश्यकता है जिसे जुटाने में वह स्वयं या कखग लिमिटेड असमर्थ है। इसलिए, वह पैसे के बदले अपने इक्विटी शेयर देकर पूँजी बाजार में प्रवेश करने का निर्णय लेती है। यह एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आईपीओ (प्रारंभिक क्योंकि कखग लिमिटेड पहली बार लोगों से व्यापक तौर पर धन की प्रार्थना कर रही है) है। लोग सहमत मूल्य का भुगतान करके शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद, कंपनी को उसके बैंक खाते में धन प्राप्त हो जाता है और वह आवेदकों को शेयर जारी कर देती है, इस तरह उन्हें कंपनी का शेयरधारक बना देती है।

ऊपर उल्लेखित, शेयर एक प्रकार की प्रतिभूति हैं। अन्य उदाहरण हैं - डिबेंचर, बांड, म्युचुअल फंड इकाई, वाणिज्यिक पेपर, जमाओं के प्रमाणपत्र, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि।

प्रतिभूतियों का प्राथमिक और द्वितीयक बाजार क्या है?

कम्पनियों (जारीकर्ताओं) द्वारा लोगों को शेयर या प्रतिभूतियाँ जारी करना 'प्राथमिक बाजार' कहलाता है। स्टॉक एक्सचेंज जो जारी प्रतिभूतियों का व्यापार (बेचने या खरीदने) करने लिए बाजार स्थल है, 'द्वितीयक बाजार' कहलाता है। कोई भी शेयरधारक सेबी में पंजीकृत शेयरदलाल के जरिए, बीएसई या एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर बिक्री कर सकता है। बाजार मूल्य का भुगतान करके कोई भी व्यक्ति इन शेयरों को अपने शेयरदलाल के माध्यम से खरीद सकता है।

पूँजी बाजार में सेबी (SEBI) की भूमिका क्या है?

सेबी या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारत में पूँजी बाजार का नियंत्रक है। इसकी स्थापना 1988 में एक गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में हुई है। 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के पारित होने के बाद, यह प्रतिभूतियों में निवेशकों के हित संरक्षण और प्रतिभूति बाजार के नियंत्रण और इसके संवर्धन के लिए संवैधानिक शक्ति युक्त स्वायत्त संस्था बन गई। सेबी के पास बाजार मध्यवर्ती संस्थाओं को पंजीकृत करने, नियंत्रित करने और नियमों का उल्लंघन करने पर दंडित करने की विस्तृत शक्तियाँ हैं।

पूँजी बाजार में एनएसडीएल (NSDL) की क्या भूमिका है?

1996 में स्थापित एनएसडीएल (NSDL) आज विश्व के सबसे बड़े निक्षेपागार में से एक है। निक्षेपागार के तौर पर यह शेयरों और अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों को अभौतिक (इलेक्ट्रॉनिक / डीमैट) रूप में धारण करने में सक्षम करता है। डीमैट खाता रखकर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियों को रख सकता है और अपने डीमैट खाते से किसी अन्य के डीमैट के खाते में हस्तांतरित कर सकता है। निक्षेपागार और विभिन्न अन्य हितधारकों के बीच अंतरसंबंध चित्र संख्या 2 में दिखाया गया है। भारतीय पूँजी बाजार में एनएसडीएल (NSDL) के सहयोग ने इसे विश्व में विविध मोर्चों पर प्रमुख पूँजी बाजारों मे से एक बना दिया है। विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के अंगीकरण और देश में अतुलनीय पहुँच के साथ, एनएसडीएल (NSDL) ने निवेशकों और अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं का भरोसा जीत लिया है, इस तरह अपनी टैगलाइन-***तकनीक, विश्वास और पहुँच*** पर खरा उतरा है।

एनएसडीएल निक्षेपागार प्रणाली

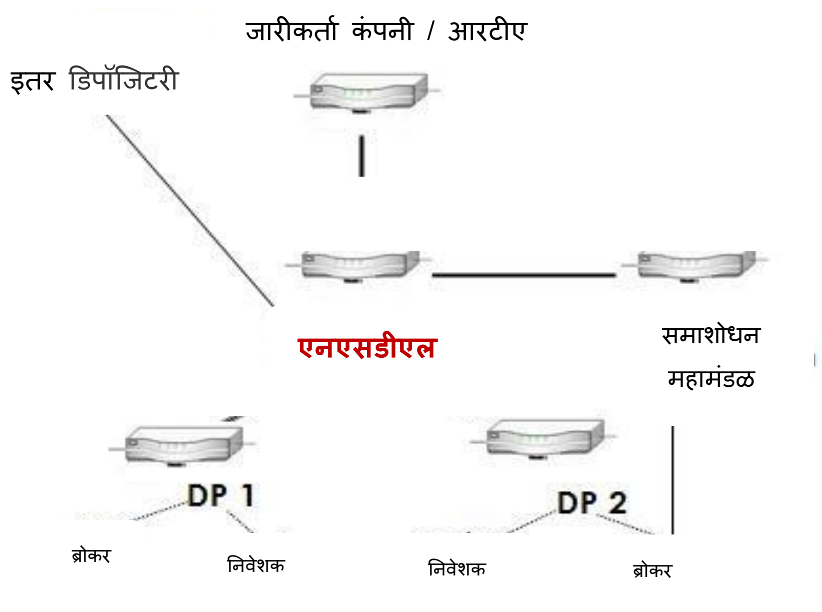

चित्र 2

अपने 275 से अधिक डीपी (निक्षेपागार भागीदारों) के नेटवर्क के साथ एनएसडीएल (NSDL) निवेशकों, शेयरदलालों, स्टॉक एक्सचेंजों, संरक्षकों को सेवाओं का समूह उपलब्ध करवाता है। बहुत सारे बड़े बैंक (राष्ट्रीयकृत, निजी और

सहकारी), शेयरदलाल और वित्तीय संस्थान एनएसडीएल (NSDL) के साथ डीपी के तौर पर जुड़े हुये हैं।

एनएसडीएल (NSDL) के डीपी देश भर में फैले 30,700 से अधिक सेवा केन्द्रों से कार्य कर रहें है, जिनमें से कुछ विदेश में भी हैं। एनएसडीएल (NSDL) डीपी के और उसके सेवा केन्द्रों की सूची https://nsdl.co.in/dpsch.php पर उपलब्ध है।

डीमैट को समझना

'डीमैट' का अर्थ क्या है?

डीमैट, प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखने का रूप है। यह प्रतिभूतियों को कागजी रूप में रखने का एक कानूनी विकल्प है।

निक्षेपागार क्या है?

निक्षेपागार शेयरों के बैंक की तरह है। जैसे कि हम बैंक बचत खाते में पैसे को सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह हम निक्षेपागार के साथ शेयर आदि में अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। जिस तरह बैंक हमें हमारे खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में धन हस्तांतरित करने में सहायता करता है, निक्षेपागार हमें एक डीमैट खाते से दूसरे डीमैट खाते में शेयर आदि का हस्तांतरण करने में सहायता करता है। जिस प्रकार बैंक अपनी शाखाओं के जरिए ग्राहकों तक अपनी सेवाएँ बढ़ाता है, निक्षेपागार अपने अभिकर्ताओं (जिन्हें डीपी या निक्षेपागार भागीदार) के तौर जाना जाता है) के जरिए अपनी सेवाएँ देता है। इसके साथ ही, निक्षेपागार पूँजी बाजार में विभिन्न हितधारकों को अन्य बहुत सी सेवाएँ प्रदान करता है।

निक्षेपागार खाता क्या है?

निक्षेपागार खाता निक्षेपागार में रखे गए बैंक खाते की तरह है। बैंक खाते का प्रयोग पैसा रखने और हस्तांतरण करने के लिए किया जाता है, निक्षेपागार खाते का प्रयोग डीमैट खाता धारकों को प्रतिभूतियों को रखने और हस्तांतरण के लिए किया जाता है। निक्षेपागार खाते लोकप्रिय तौर पर डीमैट खाते कहलाते हैं।

निक्षेपागार भागीदार कौन है?

निक्षेपागार निवेशकों को अपने अभिकर्ताओं के जरिए सेवाएँ उपलब्ध करवाता है, जिन्हें निक्षेपागार भागीदार (डीपी) कहते हैं। इन एजेंटों की नियुक्ति एनएसडीएल (NSDL) द्वारा सेबी के साथ पंजीकरण करने के बाद की जाती है। यदि कोई निवेशक निक्षेपागार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ प्राप्त करना चाहता है, उसे किसी डीपी के साथ डीमैट खाता खोलना होगा। यह बैंक की सेवाओं का उपयोग करने के लिए किसी बैंक शाखा में बचत खाता खोलने के समान है। आप https://nsdl.co.in/dpsch.php पर डीपी की सूची प्राप्त कर सकते हैं।

डीमैट खाता होने के लाभ क्या हैं?

डीमैट खाता होने के लाभ हैं -

I. प्रतिभूतियों का त्वरित हस्तांतरण।
II. प्रतिभूतियों के हस्तांतरण में स्टैंप ड्यूटी नहीं। [1]

[1] 1 FY 2019-20 के लिए प्रस्तावित वित्तीय बिल में परिवर्तन के अधीन

III. भौतिक प्रमाणपत्रों से संबंधित जोखिमों जैसे खराब डिलीवरी, नकली प्रतिभूतियों, आदि को समाप्त करना।
IV. प्रतिभूतियों से हस्तांतरण में शामिल कागजी कार्यवाही को कम करना।
V. हस्तांतरण लागत में कमी लाना।
VI. पता/ बैंक खाता विवरण में परिवर्तन आदि में आसानी, क्योंकि डीमैट खाते में की गई अपडेट प्रत्येक कंपनी को बता दी जाती है, जिससे सभी कंपनियों को अलग से पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रहती है।
VII. प्रतिभूतियों के हस्तांतरण में आसानी क्योंकि पूरी प्रक्रिया डीपी द्वारा होती है, जो कंपनियों के साथ पत्राचार करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।
VIII. फोलियो/खातों के समेकन की सुविधाजनक विधि।
IX. एक ही खाते में विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों जैसे इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, म्यूचुअल फंड इकाइयां आदि रखना।
X. डीमैट खाते में विभाजन/समेकन/विलय आदि से उत्पन्न शेयरों, म्यूचुअल फंड इकाई आदि का स्वचालित जमा होना।

एनएसडीएल (NSDL) द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ

निक्षेपागार के रूप में, एनएसडीएल (NSDL) निवेशकों, जारीकर्ता कंपनियों, शेयर दलाल और समाशोधन निगम को विभिन्न सेवाएँ उपलब्ध करवाता है। किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को किसी निक्षेपागार भागीदार से संपर्क करने की आवश्यकता होती है।

डीमैट खाता खोलना

1. एनएसडीएल (NSDL) डीमैट खाता कैसे खोला जाता है?

डीमैट खाता खोलना काफी आसान है। आपको बस एक एनएसडीएल (NSDL) डीपी से संपर्क करना है, जो आपको औपचारिकताओं को पूरा करने में सहायता करेगा। आपको एक प्रपत्र भरकर, पैन कार्ड और पते का प्रमाण के साथ जमा करना होगा। इसके अलावा, अपने बैंक खाते का विवरण भी देना होगा। आपका डीमैट खाता खुलने के बाद, आपका डीपी आपको डीपी पहचान संख्या व ग्राहक पहचान संख्या, आपके ग्राहक मूल रपट की कॉपी, जिसमें आपके डीमैट खाते से संबंधित विवरण, दर सूची और 'लाभकारी मालिक और निक्षेपागार प्रतिभागी के अधिकार और दायित्व' की एक कॉपी प्रदान करेगा। एनएसडीएल (NSDL) द्वारा सभी डीपी की पहचान के लिए उन्हें 8 अंकों वाला डीपी पहचान संख्या (उदाहरण IN3XXXXX) आवंटित किया गया है। ग्राहक पहचान 8 अंक लंबा कोड है जिसका प्रयोग ग्राहकों की पहचान करने के लिए किया जाता है। डीपी पहचान संख्या और ग्राहक पहचान संख्या के संयोजन से एनएसडीएल (NSDL) प्रणाली में आपका विशिष्ट खाता नंबर बनता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि निक्षेपागार प्रणाली में आपके सभी विवरण सही दर्ज किए गए हैं, आपको ग्राहक रपट की जाँच करनी चाहिए। यदि आप शेयर आदि में व्यापार (यानी खरीद या बिक्री) करना चाहते हैं, तो आपको किसी सेबी पंजीकृत शेयर दलाल के साथ व्यापार/ब्रोकिंग खाता भी खोलना होगा। कई डीपी निवेशकों के लाभ के लिए 3-इन-1 खाते की सुविधा देते हैं (3-इन-1 डीमैट खाते, व्यापार खाते और बैंक खाते का संयोजन है)।

2. मैं डीपी का चुनाव कैसे करूँ?

डीमैट खाता खोलने के लिए आप अपने डीपी का चयन वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप बचत खाता खोलने के लिए बैंक का चयन करते हैं। डीपी के चयन में कुछ महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं:
i. सुविधा - अपने कार्यालय/ निवास से निकटता, काम के घंटे।
ii. आराम - डीपी की प्रतिष्ठा, संगठन के साथ पहले के संबंध, क्या डीपी उस विशिष्ट सेवा को देने की अवस्था में है जिसकी आपको आवश्यकता हो सकती है?
iii. सेवा का मूल्य/स्तर - डीपी द्वारा लगाया गया सेवा शुल्क और सेवा मानक।

डीपी की अवस्थिति और उनकी तुलनात्मक शुल्क संरचना की सूची के लिए, कृपया https://nsdl.co.in/joining/joincharges.php पर जाएँ।

3. क्या सभी डीपी समान हैं?

डीपी बनने के लिए एनएसडीएल (NSDL) ने कुछ मूलभूत पात्रता मापदंड निर्दिष्ट किए हैं। ये मापदंड कुछ मामलों में सेबी नियमों के संबंधित प्रावधानों के समान अथवा अधिक हैं। सभी डीपी इस मायने में समान हैं कि उन्हें एनएसडीएल (NSDL) में सेबी द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के बाद ही नियुक्त किया गया है। हालांकि, डीपी में दी गई सेवाओं के प्रकार, सेवा मानकों और प्रदान की गई सेवाओं के शुल्क अलग-अलग हो सकते हैं।

4. अगर मैं डीमैट खाता खोलना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए?

जब आपने किसी विशेष डीपी के साथ खाता खोलने का फैसला कर लिया है, तो आप उस डीपी से संपर्क कर सकते हैं और खाता खोलने का प्रपत्र भर सकते हैं। आपको अपना फोटोग्राफ और निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति देना होगा -

a. पैन कार्ड (सिक्किम के निवासियों के लिए जिनके पास पैन नहीं है, पहचान का अन्य प्रमाण)।
b. पते का प्रमाण (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और नरेगा नौकरी कार्ड में से कोई एक)।
c. रद्द किए गए चेक या पासबुक या बैंक विवरण की कॉपी जिसमें आपका नाम, खाता संख्या, आईएफएससी (IFSC) और एमआईसीआर (MICR) कोड हो।

कृपया डीपी के पास सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज ले जाना न भूलें। यदि आप सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज लाने में असमर्थ हैं, तो फोटोकॉपी को सार्वजनिक नोटरी जैसी किसी अधिकृत संस्था द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। इनके अलावा आपका डीपी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहचान / पते का अतिरिक्त प्रमाण माँग सकता है। खाता खोलने की प्रक्रिया को चित्र संख्या 3 में दिखाया गया है।

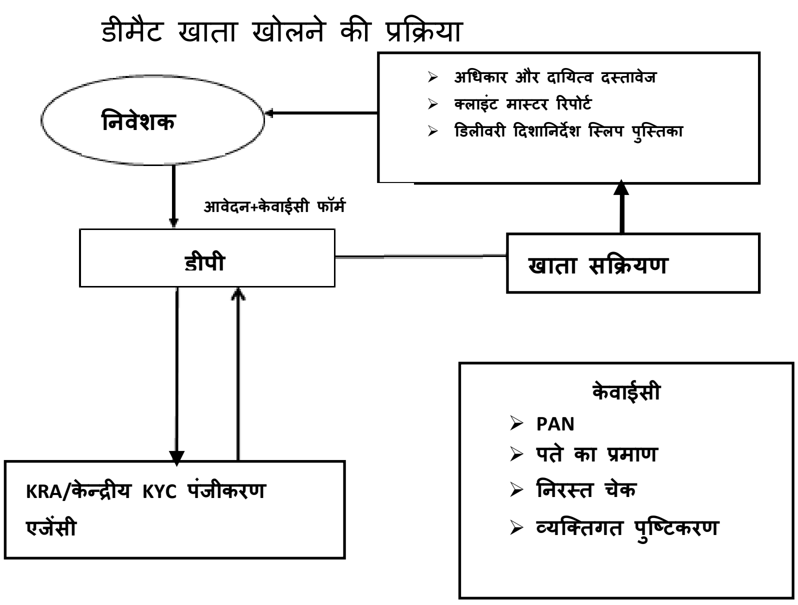

चित्र 3

5. व्यक्तिगत सत्यापन क्या है?

सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार खाता खोलते समय आवेदक की पहचान स्थापित करना अनिवार्य है। इसके लिए डीपी के कर्मचारी खाता खोलने के प्रपत्र पर चिपकाए गए फोटोग्राफ और पैन कार्ड दस्तावेज पर दिखाई दे रही फोटो के साथ खाता खोलने के इच्छुक व्यक्ति की पुष्टि करते हैं। संयुक्त खाताधारकों के लिए, सभी धारकों का 'व्यक्तिगत

सत्यापन' आवश्यक है।

6. क्या मैं एक से ज्यादा डीमैट खाता खोल सकता/सकती हूँ?

हाँ। आप अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार एक ही डीपी या अलग-अलग डीपी के साथ एक से अधिक खाते खोल सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि खोले गए ऐसे सभी खातों के लिए आपको शुल्क देना पड़ सकता है।

7. क्या मुझे अपने डीमैट खाते में प्रतिभूतियों की कोई न्यूनतम शेष बनाए रखनी होगी?

नहीं। निक्षेपागार ने कोई न्यूनतम शेष निर्धारित नहीं की है। आप अपने डीमैट खाते में शून्य शेष रख सकते हैं।

8. खाता खोलते समय मुझे अपने बैंक खाते का विवरण क्यों देना चाहिए?

डीमैट खाता खोलते समय बैंक खाता विवरण देना अनिवार्य है। इन बैंक विवरणों को जारीकर्ता कंपनियों / आरटीए द्वारा आपके बैंक खाते में कोई भी देय राशि (जैसे लाभांश, ब्याज या परिपक्वता भुगतान या मोचन राशि) सीधे जमा करने के उद्देश्य से दिया किया जाता है। इसलिए खाता खोलने के प्रपत्र में आप अपने सक्रिय बैंक खाते का ही विवरण दें। बाद में बदलाव के मामले में, कृपया अपने डीपी को सूचित करें।

9. खाता खोलने के प्रपत्र में दिए गए 'स्वचालित रूप से क्रेडिट प्राप्त करने के स्थायी निर्देश' क्या है?

डीमैट खाते में, जमा या निकासी की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब वह संबंधित धारक (कों) द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया हो। डीमैट खाते में प्रत्येक डेबिट हस्तांतरण के लिए 'वितरण निर्देश पर्ची (DIS)' आवश्यक है, डीमैट खाते में प्रत्येक क्रेडिट स्थानांतरण के लिए 'प्राप्ति निर्देश पर्ची' आवश्यक है। खाते में क्रेडिट होने की उम्मीद होने पर, आप अपने डीपी को एकल स्थायी निर्देश देकर उसे हर बार प्राप्ति निर्देश देने से बच सकते हैं।

10. क्या मैं बैंक खाते के समान 'कोई एक या उत्तरजीवी' आधार पर एक संयुक्त खाता संचालित कर सकता/सकती हूँ?

नहीं। वर्तमान नियमों के अनुसार डीमैट खाते को बैंक खाते की तरह 'कोई एक या उत्तरजीवी' आधार पर संचालित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, संयुक्त डीमैट खाते के लिए दिए गए प्रत्येक निर्देश पर सभी संयुक्त धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है।

11. क्या मैं अपने सभी प्रतिभूतियों को किसी अन्य डीपी के साथ अपने खाते में स्थानांतरित कर सकता/सकती हूँ और एक डीपी के साथ अपना डीमैट खाता बंद कर सकता/सकती हूँ?

हाँ। यदि आपके पास एक या अधिक डीपी के साथ कई डीमैट खाते हैं और आपको सभी जारी रखने की इच्छा नहीं है, तो आप निर्धारित प्रारूप में अपने डीपी को खाता बंद करने का प्रपत्र जमा कर सकते हैं। प्रपत्र में जिस डीपी को आप शेष हस्तांतरित करना चाहते हैं, उस खाते की डीपी पहचान संख्या, डीपी का नाम और ग्राहक पहचान संख्या का उल्लेख करना होगा। आपका डीपी आपके निर्देश के अनुसार आपकी सभी प्रतिभूतियों को स्थानांतरित कर देगा और आपके डीमैट खाते को बंद कर देगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यदि खाते में कुछ बचा हुआ है, तो डीमैट खाता बंद नहीं किया जा सकता है।

12. मैं अपने एनएसडीएल (NSDL) डीमैट खाते के साथ क्या कर सकता/सकती हूँ?

आपके एनएसडीएल (NSDL) डीमैट खाते के कई उपयोग हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आप अपने एनएसडीएल (NSDL) डीमैट खाते के साथ कर सकते हैं, नीचे सूचीबद्ध हैं -

i. आप आईपीओ (IPO) और एनएफओ (NFO) के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में अपना डीपी पहचान और ग्राहक पहचान का सही उल्लेख करन नहीं भूलें। समान डीमैट खाते का उपयोग शेयर और अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों को खरीदने और रखने के लिए किया जा सकता है।
ii. आपको अपने डीमैट खाते में स्वचालित रूप से सभी निगमित लाभ (बोनस, अधिकारिक इश्यू, आदि) प्राप्त होंगे। नगद लाभ जैसे आपकी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश, आपके बांड निवेश पर देय ब्याज या परिपक्वता राशि आदि को आपके डीमैट खाते से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि डीमैट खाते में आपके बैंक खाते का सही विवरण दर्ज किया गया है।
iii. आप अपने डीमैट खाते का उपयोग निवेश को बेचे बिना अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक आदि की ' शेयर पर ऋण योजना' का लाभ उठाने के लिए कर सकते हैं।
iv. आप अपने डीपी के माध्यम से अपने सभी निवेशों शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, सरकारी प्रतिभूतियों, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आदि को कागजी प्रारूप से डीमैट में रूपांतरित कर सकते हैं।
v. आप अपने म्युचुअल फंड निवेश एक डीमैट खाते में ही रख सकते हैं। डीमैट खाते में म्यूचुअल फंड इकाई रखना आपके लिए मामले को बहुत ही आसान बना देता है। आप एनएसडीएल (NSDL) सीएएस के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो की निगरानी एक ही जगह पर करने में समर्थ होंगे। यदि आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी, उदाहरण के लिए, पते या बैंक विवरण या नामांकित व्यक्ति, आदि में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो यह आपको विभिन्न म्यूचुअल फंड हाउस के साथ जुड़ने की आवश्यकता से भी बचाते हैं। आवेदन पत्र में अपने डीपी पहचान और ग्राहक पहचान का उल्लेख करके आप म्युचुअल फंड इकाई की सदस्यता डीमैट रूप में ले सकते हैं। आपके डीमैट खाते के माध्यम से एसआईपी से म्युचुअल फंड में भी निवेश संभव है। म्युचुअल फंड इकाईयों को भुनाने या पुनर्खरीद के लिए आप अपने डीपी को निर्देश दे सकते हैं या एनएसडीएल (NSDL) की स्पीड-ई सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।
vi. आप अपने डीमैट खाते के माध्यम से अपने शेयरों को कंपनी में भेजकर बायबैक ऑफर में भाग ले सकते हैं।
vii. आप अपने डीमैट खाते में बेकार पड़ी प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूतियों को उधार देने और उधार लेने की योजना में भाग ले सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं।

मूलभूत सेवाएँ डीमैट खाता

1. मूलभूत सेवाएँ डीमैट खाता (BSDA) क्या है?

बीएसडीए नियमित डीमैट खाते की तरह है, लेकिन कम या शून्य वार्षिक रखरखाव शुल्क के साथ।

2. बीएसडीए का लाभ उठाने के लिए क्या शर्तें हैं?

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति बीएसडीए के लाभ प्राप्त कर सकते हैं -
i. जिन व्यक्तियों के पास एकमात्र या पहले धारक के रूप मे केवल एक डीमैट खाता है (सभी निक्षेपागार में)।
ii. एक व्यक्ति कोई भी अन्य दूसरा या तीसरा डीमैट खाता रख सकते हैं।
iii. डीमैट खाते में रखी गई प्रतिभूतियों का मूल्य किसी भी समय 4,00,000 रुपए से अधिक नहीं होगा।
iv. बीएसडीए का लाभ उठाने के लिए मोबाइल नंबर देना और एसएमएस अलर्ट सुविधा का विकल्प चुनना आवश्यक है।

3. बीएसडीए के लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क (AMC) क्या है?

सेबी द्वारा निर्धारित बीएसडीए के लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क निम्नानुसार हैं:

क्रमांक	इक्विटी प्रतिभूतियों का मूल्य	इक्विटी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों का मूल्य	प्रतिभूतियों का कुल मूल्य	शुल्क
1	₹ 50,000/-	₹ 50,000/-	₹ 1,00,000/-	कोई वार्षिक रखरखाव शुल्क

				नहीं
2	₹ 1,00,000/-	₹ 50,000/-	₹ 1,50,000/-	कोई वार्षिक रखरखाव शुल्क नहीं
3	₹ 1,50,000/-	₹ 50,000/-	₹ 2,00,000/-	अधिकतम ₹ 100
4	₹ 1,50,000/-	₹ 1,00,000/-	₹ 2,50,000/-	अधिकतम ₹ 100
5	₹ 2,00,000/-	₹ 2,00,000/-	₹ 4,00,000/-	अधिकतम ₹ 100
6	₹ 2,00,000/-	₹ 2,50,000/-	₹ 4,50,000/-	सामान्य डीमैट अकाउंट के अनुसार
7	₹ 3,00,000/-	₹ 3,00,000/-	₹ 6,00,000/-	सामान्य डीमैट अकाउंट के अनुसार
8	₹ 2,50,000/-	₹ 2,00,000/-	₹ 4,50,000/-	सामान्य डीमैट अकाउंट के अनुसार
9	₹ 50,000/-	₹ 2,50,000/-	₹ 3,00,000/-	सामान्य डीमैट अकाउंट के अनुसार
10	₹ 2,50,000/-	₹ 50,000/-	₹ 3,00,000/-	सामान्य डीमैट अकाउंट के अनुसार

इस प्रयोजन के लिए होल्डिंग का मूल्य डीपी द्वारा प्रतिभूतियों/म्यूचुअल फंड इकाइयों के लिए दैनिक बंदी मूल्य या एनएवी (NAV) के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यदि किसी दिन बीएसडीए में होल्डिंग का मूल्य उपर्युक्त सीमा से अधिक है, तो डीपी उस दिन से नियमित खातों (गैर-बीएसडीए) पर लागू शुल्क के अनुसार शुल्क प्रभारित कर सकता है।

प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण

1. अभौतिकीकरण क्या है?

अभौतिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिभूतियों को डीपी के पास जमा करके भौतिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदला जाता है। अभौतिकीकरण होल्डिंग के रूप में परिवर्तन है, इसके फलस्वरूप स्वामित्व में परिवर्तन नहीं होता है।

2. मैं अपने प्रतिभूति प्रमाणपत्रों का अभौतिकीकरण कैसे कर सकता/सकती हूँ?

प्रमाणपत्रों का अभौतिकीकरण करने के लिए, आपको डीमैट खाता खोलना होगा। डीमैट खाता खोले जाने के बाद आपको निर्दिष्ट प्रारूप में 'अभौतिकीकरण अनुरोध प्रपत्र' भरने और अपने प्रतिभूति प्रमाणपत्रों के साथ इसे डीपी के पास जमा करने की जरूरत होगी। आपका डीपी आपके डीमैट अनुरोध को संबंधित जारीकर्ता कंपनी या इसके रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंट को आगे की प्रक्रिया के लिए बढ़ा देगा। संबंधित जारीकर्ता कंपनी या इसके रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंट से अनुरोध की पुष्टि हो जाने के बाद, यह संबंधित निवेशक के डीमैट खाते में इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूतियों के रूप में का क्रेडिट होता हैं। अभौतिकीकरण की प्रक्रिया को चित्र संख्या 4 में दिखाया गया है।

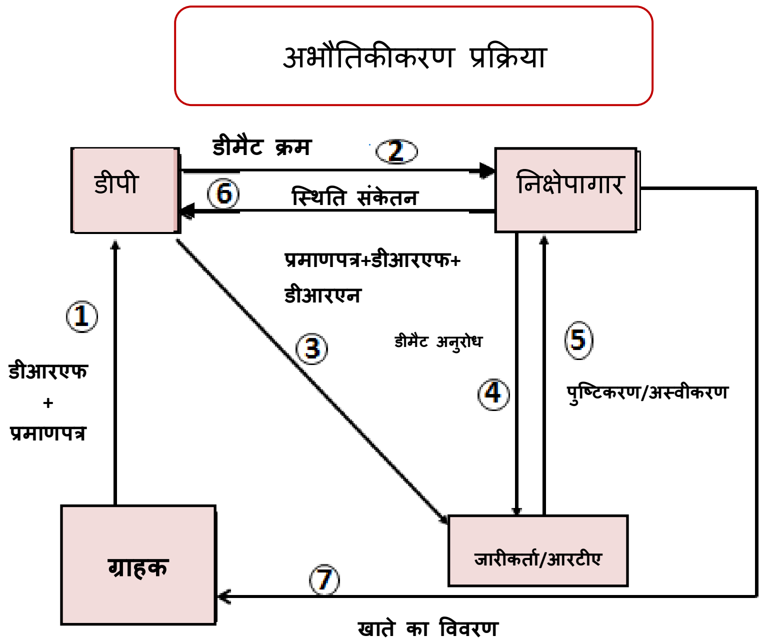

चित्र 4

3. क्या मैं किसी भी शेयर प्रमाणपत्र का अभौतिकीकरण कर सकता/सकती हूँ?

नहीं, सभी शेयर प्रमाण पत्रों का अभौतिकीकरण नहीं किया जा सकता है। अभौतिकीकरण के लिए निम्नलिखित स्थितियाँ पूरी की जानी चाहिए-

i. आप केवल उन्हीं शेयर प्रमाणपत्रों का अभौतिकीकरण कर सकते हैं जो पहले से ही जारीकर्ता कंपनी /उसके रजिस्ट्रार के अभिलेख में आपके नाम से पंजीकृत हैं।
ii. जारीकर्ता कंपनी को एनएसडीएल (NSDL) में शामिल होना चाहिए और उन शेयरों के लिए एक आईएसआईएन प्राप्त करना चाहिए।
iii. शेयरों को किसी भी दावे, शुल्क या ऋणभार से मुक्त होना चाहिए।

अधिकतर सूचीबद्ध या सक्रिय कंपनियाँ पहले से ही एनएसडीएल (NSDL) में शामिल हो चुकी हैं और उनके शेयर और अन्य प्रकार की प्रतिभूतियाँ डीमैट के लिए उपलब्ध हैं। अन्य बहुत सारी कंपनिया एनएसडीएल (NSDL) में शामिल होने की प्रक्रिया में हैं। आपके शेयर डीमैट के लिए उपलब्ध हैं या नहीं, आप https://nsdl.co.in/master_search.php पर जाकर देख सकते हैं।

4. अपने प्रमाणपत्र के अभौतिकीकरण के लिए डीपी के पास जमा करने से पहले मुझे क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए?

आपको निम्नलिखित का ध्यान रखना चाहिएः

i. पुष्टि करें कि आप प्रतिभूतियों के पंजीकृत मालिक हैं।
ii. प्रतिभूतियों के स्वामित्व का पैटर्न उसी डीमैट खाते के समान होना चाहिए जिससे आप डीमैट अनुरोध करना चाहते हैं।(यदि पैटर्न अलग है तो नीचे प्रश्न संख्या 13 के उत्तर को देखें)।
iii. पुष्टि करें कि जिन प्रतिभूतियों का आप अभौतिकीकरण करना चाहते हैं, वास्तव में एनएसडीएल (NSDL) में डीमैट के लिए उपलब्ध हैं।
iv. पुष्टि करें कि जिस कंपनी के आपके पास शेयर हैं, रजिस्ट्रार ने उस कंपनी के लिए सेवाएं नहीं रोकी हैं। इसे https://nsdl.co.in/list-comp.php पर जाकर देखा जा सकता है।
v. ऊपर के चरणों के बाद आप जिन शेयर प्रमाणपत्रों का अभौतिकीकरण करवाना चाहते हैं, उन्हें "अभौतिकीकरण के लिए समर्पित" शब्दों से चिन्हित कर सकते हैं। आपका डीपी आपको इस उद्देश्य के लिए उपयोग करने हेतु रबर की मुहर उपलब्ध करवाएगा।

प्रमाणपत्र को उपरोक्त के अनुसार उचित रूप से चिन्हित कर लिया गया है, यह सुनिश्चित करने के बाद आप शेयर प्रमाणपत्र के साथ डीआरएफ को आगे की प्रक्रिया के लिए डीपी के पास जमा कर सकते हैं।

5. अभौतिकीकरण की प्रक्रिया में कितना समय लगेगा?

सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, डीपी को अपने द्वारा प्राप्त किए गए डीमैट अनुरोध को 7 दिनों में भीतर संसाधित करने की आवश्यकता है। इसके बाद जारीकर्ता कंपनी/इसके रजिस्ट्रार, उन्हें प्राप्त हुए अनुरोध को संसाधित करने के लिए 15 दिनों[2] तक का समय ले सकते हैं। डीपी से जारीकर्ता कंपनी/ रजिस्ट्रार को दस्तावेजों के हस्तांतरण के लिए आवश्यक समय पर विचार करते हुए अभौतिकीकरण में सामान्यतया लगभग 30 दिन लग जाते हैं।

6. क्या मैं व्यक्तिगत स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों और अपनी पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण के लिए एक ही खाता खोल सकता हूँ?

नहीं। डीमैट खाता उसी स्वामित्व पैटर्न में खोला जाना चाहिए, जिसमें प्रतिभूतियाँ भौतिक रूप में हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक शेयर प्रमाणपत्र आपके नाम पर है और दूसरा आपकी पत्नी के नाम के साथ है, तो आपको दो डीमैट खाते खोलने होंगे (एक अपने नाम पर और दूसरा आपके और आपकी पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर)।

7. क्या मुझे उन प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण करवाना होगा, जिन्हें मैं बेचना नहीं चाहता/चाहती?

निक्षेपागार अधिनियम, 1996 निवेशकों को प्रतिभूतियों को भौतिक या डीमैट प्रारूप में रखने का विकल्प देता है। इसलिए, यदि आप प्रतिभूतियाँ बेचना नहीं चाहते, तो आप उनका अभौतिकीकरण नहीं भी करवा सकते हैं। हालांकि, प्रतिभूतियों को डीमैट प्रारूप में रखना बहुत से लाभों लेकर आता है और इसलिए इसकी बहुत अधिक अनुशंसा की जाती है। भौतिक प्रारूप में रखे जाने पर सूचीबद्ध कंपनियों और गैरसूचीबद्ध सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों से संबंधित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर मौजूदा/प्रस्तावित प्रतिबंध हैं। इसलिए प्रतिभूतियों को अभौतिकीकरण करवाना बेहतर होगा।

8. क्या मैं अपने लॉक-इन के तहत कर-मुक्त बांड में निवेश का अभौतिकीकरण करवा सकता/सकती हूँ?

हाँ। आप अपने कर-मुक्त प्रतिज्ञापत्रों का अभौतिकीकरण तब भी करवा सकते हैं, जब वे लॉक-इन के अधीन हों। डीमैट की प्रक्रिया वही है जो शेयर की है। आपको आपके डीपी के पास बांड प्रमाणपत्रों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षर किया हुआ डीआरएफ जमा करना होगा। डीपी संबंधित जारीकर्ता / रजिस्ट्रार को यह अनुरोध बढ़ा देगा और इसकी पुष्टि हो जाने पर आपके डीमैट खाते में जमा प्राप्त हो जाएगा।

9. क्या मैं सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे डीमैट में खरीद सकता/सकती हूँ?

हाँ। अब सरकारी प्रतिभूतियों जैसे बांड और ट्रेजरी बिल (टी-बिल) का बाजार खुदरा निवेशकों के लिए आसानी से उपलब्ध है। वास्तव में, आरबीआई (RBI) नए निर्गमन का कुछ भाग खुदरा निवेशकों के लिए संरक्षित रखता है। आप नई प्रतिभूतियों की नीलामी में भाग लेकर या पहले से ही द्वितीयक बाजारों में जारी प्रतिभूतियों को खरीद सकते हैं। दोनों के लिए आपको अपने डीमैट खाते का विवरण (डीपी पहचान संख्या और ग्राहक पहचान संख्या) अधिकृत बैंक या प्राथमिक डीलर या स्टॉक ब्रोकर को देना होगा।

10. मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (SGB) की सदस्यता डीमैट रूप में कैसे ले सकता/सकती हूँ?

एसजीबी (SGB) सोने को भौतिक रूप में रखने का एक बेहतर विकल्प देता है। डीमैट रूप में एसजीबी को रखने का विकल्प इसे और भी बेहतर और सुविधाजनक बनाता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को डीमैट रूप में खरीदने की प्रक्रिया काफी आसान है। बस आपको अपने प्रपत्र में अपना डीपी पहचान संख्या और ग्राहक पहचान संख्या का उल्लेख करना होगा। कुछ बैंक ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी देते हैं (यदि निवेशक ऑनलाइन आवेदन करता है, और इलेक्ट्रॉनिक

[2] सेबी ने 30 जून, 2019 तक डीमैट अनुरोधों को पूरा करने के लिए रजिस्ट्रार को 30 दिनों की अनुमति दी है।

रूप से भुगतान करता है, तो वर्तमान में कुछ मूल्य छूट भी उपलब्ध है)। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवंटित किए जाने पर, आपके डीमैट खाते को बॉन्ड की अपेक्षित संख्या के साथ क्रेडिट किया जाएगा।

11. क्या मैं सॉवरेन गोल्ड बांड (SGB) में कागजी रूप में रखे गए अपने निवेश को डीमैट में परिवर्तित कर सकता हूँ?

हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए, आपको उस बैंक/एजेंट से संपर्क करना होगा, जिससे आपने एसजीबी खरीदा था। वे प्रमाणपत्र रूप में रखे गए एसजीबी के डीमैट में रूपांतरण में आपकी सहायता करेंगे।

12. क्या मैं एसजीएल रूप में रखे गए सरकारी प्रतिभूतियों में अपने निवेश को एनएसडीएल (NSDL) डीपी के साथ रखे अपने डीमैट खाते में बदल सकता हूँ?

हाँ। आपको अपने डीपी को निर्धारित प्रारूप में एक विधिवत भरा और हस्ताक्षरित अनुरोध 'हस्तांतरण प्रपत्र' के साथ उपलब्ध करवाना होगा (जिसे अभौतिकीकरण अनुरोध प्रपत्र - सरकारी प्रतिभूति- के रूप में जाना जाता है)। आपका डीपी आपके अनुरोध को एनएसडीएल (NSDL) को अग्रेषित करेगा। एनएसडीएल (NSDL) आपके डीमैट खाते में आवश्यक क्रेडिट की व्यवस्था करेगा।

13. मेरे पास नामों के समान संयोजन वाले भौतिक प्रमाण पत्र हैं, लेकिन नामों का क्रम अलग है। कुछ प्रमाणपत्रों में, मैं पहला धारक हूँ और मेरी पत्नी दूसरी धारक है, जबकि कुछ अन्य प्रमाण पत्रों में, मेरी पत्नी पहली धारक है और मैं दूसरा धारक हूँ। क्या मुझे इन प्रमाणपत्रों के अभौतिकीकरण के उद्देश्य से दो अलग-अलग खाते खोलने की आवश्यकता है?

संयुक्त धारक कंपनी को एक लिखित अनुरोध करके नामों के अनुक्रम को बदलने के हकदार हैं। यह हस्तांतरण नहीं है। संयुक्त धारकों के अनुक्रम को बदलने को 'प्रतिस्थापन' कहा जाता है। हालांकि, प्रतिस्थापन सुविधा का लाभ किसी फोलियो के संपूर्ण होल्डिंग्स में उठाया जा सकता है और होल्डिंग्स के एक हिस्से के लिए इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

यदि संयुक्त धारकों का एक ही समूह विभिन्न नामों के अनुक्रम में प्रतिभूतियों को रखता है, तो ऐसी प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण के लिए कई डीमैट खाते खोलने की आवश्यकता नहीं है। 'प्रतिभूति प्रतिस्थापन सह डीमैट सुविधा' का उपयोग करके ऐसी प्रतिभूतियों को, जिन्हें अलग-अलग संयोजनों के साथ प्रमाण पत्र के रूप में रखा गया है, एक डीमैट खाते में अभौतिकीकरण किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, अभौतिकीकरण अनुरोध प्रपत्र (DRF) और 'प्रतिस्थापन सह डीमैट प्रपत्र' नामक एक अतिरिक्त प्रपत्र डीपी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसे चित्र संख्या 5 में समझाया गया है -

प्रतिस्थापन कम डीमैट सुविधा

नाम	**शेयर प्रमाणपत्र में**	डीमैट खाता
दो धारक	कऔर ख या ख और क	क और ख
तीन धारक	क ,ख ,ग या क,ग,ख या ख,क,ग या ख,ग,क या ग,क,ख या ग,ख,क	क,ख और ग

अपने डीपी के पास प्रतिस्थापन प्रपत्र के साथ डीमैट अनुरोध प्रपत्र (डीआरएफ) जमा करें

चित्र 5

प्रतिभूतियों का पुन:भौतिकीकरण

1. क्या मेरी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स को कागजी दस्तावेजों में बदला जा सकता है?

हाँ। यदि आप अपनी प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में वापस पाना चाहते हैं, तो आपको अपने डीपी को निर्धारित प्रारूप में 'पुनः भौतिकीकरण अनुरोध प्रपत्र' जमा करना होगा। आवश्यक जाँच के बाद, आपका डीपी एनएसडीएल (NSDL) की निक्षेपागार प्रणाली के माध्यम से संबंधित जारीकर्ता कंपनी / रजिस्ट्रार को आपका अनुरोध भेज देगा। कंपनी / रजिस्ट्रार प्रमाणपत्रों को मुद्रित करेगा और सीधे आपको भेज देगा। अनुरोध जमा करने से पहले आपको अपने डीपी के साथ पुनः भौतिकीकरण शुल्क की जाँच करनी चाहिए।

बाजार के कारोबार का निपटान और प्रतिभूतियों का हस्तान्तरण

1. डीमैट प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए क्या प्रक्रिया है?

अभौतिकीकृत प्रतिभूतियों को बेचने की प्रक्रिया बहुत सरल है, जैसा कि नीचे दिया गया है -

i. आपको अपने शेयर दलाल को विक्रय निर्देश देने की आवश्यकता है।
ii. जब आपका विक्रय ऑर्डर निष्पादित हो जाता है और आप अपने ऑर्डर के निष्पादन की पुष्टि प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको अपने भुगतान दायित्व को पूरा करने करने के लिए अपने शेयर दलाल को बेची गई प्रतिभूतियाँ देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए, आपको अपने डीपी द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर 'वितरण निर्देश पर्ची' को विधिवत भरकर अपने डीपी के पास जमा करनी होगी।
iii. डीआईएस में आपके डीपी को आपके द्वारा बेची गई प्रतिभूतियों की संख्या को आपके खाते में क्रेडिट करने के साथ ही अपने ब्रोकर के क्लियरिंग खाते में क्रेडिट करने का निर्देश होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, एनएसडीएल (NSDL) स्पीड-ई सेवा का उपयोग ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक निर्देश देने के लिए किया जा सकता है।
iv. आपके डीपी द्वारा निर्देश को सफलतापूर्वक पूरा कर लिए जाने के बाद, शेयर आपके ब्रोकर को मिल जाएंगे और वह प्रतिभूतियों का भुगतान समाशोधन निगम को कर देगा।
v. समाशोधन निगम से भुगतान (धन) प्राप्त हो जाने पर, आपका ब्रोकर आपके संबंधित बैंक खाते में देय बिक्री राशि के क्रेडिट की व्यवस्था करेगा।

2. मैं डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को कैसे खरीद सकता हूँ?

डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को खरीदने की प्रक्रिया बहुत आसान है, जो कि नीचे दी गई है -

i. आपको अपने शेयर दलाल को खरीद निर्देश देना होगा।
ii. एक बार जब आपका खरीद ऑर्डर निष्पादित हो जाता है और आपको अपने ऑर्डर के निष्पादन की पुष्टि प्राप्त हो जाती है तो आपको अपने भुगतान दायित्व को पूरा करने के लिए अपने शेयर दलाल को देय राशि देनी होगी।
iii. आपके ब्रोकर को अपने समाशोधन खाते (प्रतिभूति) में भुगतान के दिन प्रतिभूतियों का क्रेडिट प्राप्त होता है।
iv. आपका ब्रोकर अपने डीपी को निर्देश देता है कि वह अपने समाशोधन खाते को डेबिट करे और आपके द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों के लिए अपने डीमैट खाते को क्रेडिट करे।
v. यदि आपने अपने डीमैट खाते में स्थायी निर्देश नहीं दिया है, तो आपको क्रेडिट प्राप्त करने के लिए अपने डीपी को 'प्राप्ति निर्देश 'देने की आवश्यकता होगी।
vi. आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाता बंद होने से पहले आपका ब्रोकर प्रतिभूतियों को आपके खाते में स्थानांतरित कर दे। यदि प्रतिभूतियाँ आपके ब्रोकर के खाते में रहती हैं, तो कंपनी ब्रोकर को निगमित लाभ (लाभांश, बोनस आदि) देगी। उस स्थिति में, आपको अपने ब्रोकर से लाभ एकत्र करना होगा।

3. 'मार्केट ट्रेड्स' और 'ऑफ मार्केट ट्रेड्स' क्या हैं?

समाशोधन निगम के माध्यम से तय किए गए किसी भी व्यापार को 'मार्केट ट्रेड' कहा जाता है। ये व्यापार एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के मंच पर शेयर दलाल के माध्यम से किए जाते हैं। 'ऑफ मार्केट ट्रेड' समाशोधन निगम की भागीदारी के बिना सीधे दोनों पक्षों के बीच तय होता है।

4. 'अंतर निक्षेपागार अंतरण' क्या है? क्या किसी आईएसआईएन को अन्य निक्षेपागार में अंतरण करना संभव है?

एक निक्षेपागार के साथ डीमैट खाते में रखी गई प्रतिभूतियों का दूसरे निक्षेपागार के साथ दूसरे डीमैट खाते में हस्तांतरण 'अंतर निक्षेपागार अंतरण'(आईडीटी) के रूप में जाना जाता है। आईडीटी (IDT) उन आईएसआईएन (ISIN) के लिए संभव है जो दोनों निक्षेपागार में सक्रिय है।

5. आंशिक खाता अंतरण क्या है?

यदि निर्देश के निपटान के समय डीमैट खाते में उपलब्ध मात्रा से अधिक मात्रा के भुगतान के लिए आप निर्देश देते हैं, तो आपके डीमैट खाते में उपलब्ध शेष की सीमा तक डेबिट किया जाता है। बाजार हस्तांतरण के मामले में, यदि पर्याप्त शेष उपलब्ध नहीं है, तो संपूर्ण निर्देश विफल हो जाता है, जिसका अर्थ है कि डेबिट नहीं होता है।

6. बाजार के प्रकार और निपटान संख्या से क्या तात्पर्य है?

प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज पर, विभिन्न लेनदेन अलग-अलग ट्रेड विंडो के तहत होते हैं। इन विंडो की पहचान बाजार प्रकार और एक निपटान संख्या के एक अलग संयोजन द्वारा की जाती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप वितरण निर्देश पर्ची में सही बाजार प्रकार और निपटान संख्या (निक्षेपागार प्रणाली में निपटान विवरण कहा जाता है) का उल्लेख करें ताकि आपके भुगतान के दायित्वों का सही निपटारा हो। ये विवरण ब्रोकर द्वारा जारी किए गए अनुबंध टिप्पणी में पाए जा सकते हैं।

7. T + 2 रोलिंग निपटान चक्र क्या है?

T + 2 रोलिंग निपटान प्रणाली के तहत, स्टॉक एक्सचेंज के मंच पर पहले दिन (T) होने वाले व्यापार (खरीद और बिक्री) संबंधित समाशोधन निगम के माध्यम से दो दिन बाद, मतलब तीसरे दिन (T + 2) निपटाएँ जाते हैं। उदाहरण के लिए, सोमवार को किए गए व्यापार को बुधवार को निपटाया जाएगा (यह मानते हुए कि सभी दिन कामकाजी दिन हैं)। इसी तरह, मंगलवार को किए गए सभी व्यापार को गुरुवार को निपटाया जाता है, इसी तरह और आगे काम होता है। इस तरह के निपटान प्रणाली को T + 2 रोलिंग निपटान के रूप में जाना जाता है।
समाशोधन निगम प्रतिभूतियों के पे-इन और पेआउट के साथ ही प्रत्येक निपटान के लिए फंड के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हैं। शेयर दलाल को उनका अनुपालन करना आवश्यक होता है। उन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए डीपी, बदले में प्रतिभूतियों को बेचने वाले व्यापार के पे-इन के लिए समय सीमा निर्धारित करते हैं (निधि का निपटान बैंकों के माध्यम से होता है और इसलिए, वे निक्षेपागार प्रणाली से बाहर है)।

8. (T + 2) रोलिंग निपटान चक्र के मामले में, अगर मैंने सोमवार को अपने ब्रोकर / अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से शेयर बेचे हैं, तो मुझे अपने डीपी को वितरण निर्देश कब देने की आवश्यकता है?

जैसे कि व्यापार सोमवार को हुआ है, प्रतिभूतियों का भुगतान बुधवार को होगा, जिसका अर्थ है कि आपके ब्रोकर को बुधवार को समाशोधन निगम के द्वारा निर्धारित समय से पहले प्रतिभूतियाँ प्राप्त करनी चाहिए। चूंकि आपके डीपी को आपके द्वारा दिए गए वितरण निर्देश पर्ची को संसाधित करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी, वह पे-इन संबंधित निर्देशों को जमा करने के लिए कुछ समय निर्धारित करेगा (आमतौर पर पे-इन का पिछला दिन)। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपकी वितरण निर्देश पर्ची दिए गए समय और दिन से पहले आपके डीपी तक अच्छी तरह से पहुँच जाए। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने ब्रोकर से अपने बेचने के ऑर्डर की पुष्टि प्राप्त करने के तुरंत बाद अपने डीपी को अपनी वितरण निर्देश पर्ची जमा कर दें।

9. मुझे पे-इन के लिए निर्देश पर्ची जमा करने की समय सीमा के बारे में कैसे पता चलेगा?

आपका डीपी आपके लिए वितरण निर्देश पर्ची देने की समयसीमा को निर्धारित करेगा और आपको सूचित करेगा। ये डीपी द्वारा दी गई डीआईएस पुस्तिका पर भी मुद्रित होते हैं।

10. जब मैं शेयर खरीदता हूँ, तो मुझे किस समय तक अपने ब्रोकर से प्रतिभूतियाँ प्राप्त होंगी?

समाशोधन सदस्य खाते में प्रतिभूतियाँ प्राप्त हो जाने के एक कार्य दिवस में ब्रोकर को प्रतिभूतियाँ आपके पास स्थानांतरित करना आवश्यक है, बशर्ते आपने ब्रोकर को अपेक्षित भुगतान किया हो।

11. डीपी द्वारा 'ग्राहक के जोखिम पर' के आधार पर निर्देश पर्ची की स्वीकृति का क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है?

प्रत्येक डीपी वितरण निर्देश पर्ची जमा करने के लिए कुछ समय सीमा निर्धारित करता है। यदि आपकी निर्देश पर्ची तय समय सीमा के बाद आपके डीपी तक पहुँचती है, तो आपका डीपी निक्षेपागार प्रणाली में इसके निष्पादन के लिए सीमित देयता के साथ इसे स्वीकार कर सकता है। ऐसे मामलों में, डीपी निर्देश पर्ची (ग्राहक प्रति के साथ-साथ उनके कार्यालय की प्रति) को 'देर से प्राप्त, सबसे अच्छे प्रयासों के अधीन' या 'देर से प्राप्त, ग्राहक के जोखिम पर' के समान विवरण वाले स्टैंप के साथ चिन्हित करते हैं। यदि किसी कारण से, डीपी निक्षेपागार प्रणाली में देर से प्राप्त निर्देश को सफलतापूर्वक निष्पादित करने में असमर्थ है, और इसके परिणामस्वरूप ग्राहक अपने भुगतान-दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, तो इस नुकसान (नीलामी शुल्क आदि) के लिए डीपी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

12. वितरण निर्देश पर्ची के संबंध में मुझे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

वितरण निर्देश पर्ची आपके बैंक खाते की चेक बुक के समान हैं। डीआईएस के संबंध में आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए -

i. सुनिश्चित करें कि आपने अपने डीपी से डीआईएस पुस्तिका प्राप्त कर ली है। खुली पर्चियों को स्वीकार न करें (जब तक कि तत्काल स्थितियों में इसकी आवश्यकता न हो)।
ii. सुनिश्चित करें कि प्रत्येक डीआईएस पूर्व-मुद्रित और क्रमिक रूप से क्रमांकित है।
iii. सुनिश्चित करें कि आपका ग्राहक पहचान संख्या प्रत्येक डीआईएस पर पहले से मुहर लगा है, या पूर्व-मुद्रित है।
iv. अपने डीआईएस को किसी और के साथ नहीं छोड़े। जब आपको ऐसा करने की आवश्यकता हो तो इसे भरें और अपने डीपी को सौंप दें।
v. अपनी डीआईएस पुस्तिका सुरक्षित रखें। यदि आप किसी पर्ची या पुस्तिका को खो देते हैं तो कृपया तुरंत लिखित रूप में अपने डीपी को सूचित करें।
vi. यदि डीआईएस के पास एक से अधिक निर्देशों का उल्लेख करने के लिए स्थान (लाइनें) हैं और आप उन सभी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो कृपया किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए अपने डीपी को सौंपने से पहले अप्रयुक्त लाइनों/स्थान को काटना याद रखें।
vii. कृपया सुनिश्चित करें कि निर्देश पर्ची सभी आवश्यक विवरणों के साथ विधिवत भरी हुई है और इसे आपके डीपी को सौंपने से पहले सभी संयुक्त धारकों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

13. वितरण निर्देश पर्ची में दी गई 'निष्पादन तिथि' क्या है?

निष्पादन की तारीख वह तारीख है जिस पर प्रतिभूतियों को वास्तव में आपके खाते से डेबिट किया जाएगा। यह निश्चित करने के लिए कि वितरण निर्देश पर्ची पर लिखी गई निष्पादन तिथि पर निर्देश निष्पादित हो, इसे डीपी द्वारा निक्षेपागार प्रणाली में दर्ज किया जाना चाहिए। आप जिस तारीख पर प्रतिभूतियों को अपने खाते से डेबिट करना चाहते हैं, उसके लिए अग्रिम निर्देश जारी कर सकते हैं (आपके खाते से डेबिट डीआईएस में उल्लिखित निष्पादन तिथि पर किया जाएगा)।

14. भविष्य के निष्पादन की तारीख के साथ वितरण निर्देश देकर मुझे क्या लाभ होगा?

भविष्य में दिनांकित निर्देश देने से समय की कमी या अंतिम मिनट की भीड़ के कारण निर्देश के गैर-निष्पादन के जोखिम से बचा जा सकता है। आप इस सुविधा का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि शेयर

आदि को आपकी पसंद के दिन लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाए।

15. ऑफ मार्केट हस्तांतरण के संबंध में 'कारण/उद्देश्य' और 'प्रतिफल' का क्या अर्थ है?

सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिस कारण या उद्देश्य के लिए ऑफ मार्केट हस्तांतरण किया जाता है और प्रतिफल को ऐसे हस्तांतरण के लिए प्रस्तुत वितरण निर्देश पर्ची में उल्लेख करना होगा। इसमें 'कारण/उद्देश्य' के लिए विभिन्न विकल्प डीआईएस पुस्तिका में दिए गए हैं। आपको एक उपयुक्त का चयन करने और इसे डीआईएस पर उल्लेख करने की जरूरत है। यदि स्थानांतरण का 'कारण/उद्देश्य' 'ऑफ मार्केट बिक्री' है तो 'प्रतिफल' राशि के अलावा, आपको निम्नलिखित विवरणों का उल्लेख करने की भी आवश्यकता होगी -

i. भुगतान की तिथि।
ii. भुगतान का तरीका (नगद,चेक या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान)।
iii. यदि भुगतान का तरीका चेक या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान है, तो हस्तांतरी का नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए लेनदेन संदर्भ संख्या या चेक भुगतान के लिए चेक नंबर आवश्यक है।

प्रतिभूतियों का पारेषण

1. डीमैट खातों के संबंध में पारेषण का क्या मतलब है?

पारेषण एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मृत खाताधारक की प्रतिभूतियों को जीवित संयुक्त खाता धारक(कों)/कानूनी उत्तराधिकारी/ मृतक खाताधारक के नामित व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है। अभौतिकीकृत स्वामित्व के मामले में पारेषण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुविधाजनक है क्योंकि डीमैट खाते में रखी गई सभी प्रतिभूतियों की हस्तांतरण औपचारिकताओं के लिए डीपी को अपेक्षित दस्तावेज जमा करके पूरा किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न कंपनियों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में रखे जाने पर आवश्यक होता है।

खाताधारक (एकमात्र धारक या संयुक्त धारक) की मृत्यु होने पर, हस्तांतरण कैसे होगा, इसका वर्णन चित्र संख्या 6 में किया गया है

पारेषण

के मामले में ↓	**के पक्ष में पारेषण ↓**	
	नामांकन किया गया	नामांकन नहीं किया गया
एक धारक की मृत्यु	नामित व्यक्ति	कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र/ मृत लेख प्रमाण /प्रशासन का पत्र)
संयुक्त धारकों में से एक धारक की मृत्यु	जीवित संयुक्त धारक(कों)	जीवित संयुक्त धारक(कों)
सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु	नामित व्यक्ति	कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र/ मृत लेख प्रमाण /प्रशासन का पत्र)

चित्र 6

2. एकल खाता धारक की मृत्यु के मामले में प्रतिभूतियों को नामांकित व्यक्ति को पारेषित करने की प्रक्रिया क्या है?

प्रतिभूतियों को पारेषित करने के लिए एकल धारक की मृत्यु के मामले में, नामांकित व्यक्ति को नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति के साथ विधिवत भरा हुआ हस्तांतरण प्रपत्र जमा करना होगा। यदि दावेदार का खाता उसी प्रतिभागी के साथ नहीं है, तो दावेदार के खाते की ग्राहक रपट की प्रति (संबंधित डीपी द्वारा प्रमाणित) भी आवश्यक है। इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, डीपी प्रतिभूतियों को नामांकित व्यक्ति के डीमैट खाते में पारेषित करेगा।

3. एकल धारक के डीमैट खाते में कोई नामांकित व्यक्ति नहीं होने पर क्या होगा?

ऐसे मामले में, प्रतिभूतियों को कानूनी उत्तराधिकारी के खाते में प्रेषित किया जाएगा, जैसा कि सक्षम अदालत के आदेश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है -

i. विधिवत भरा गया पारेषण प्रपत्र।
ii. नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
iii. नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की एक प्रति या
iv. सक्षम अदालत का एक आदेश जहाँ मृतक ने वसीयत नहीं छोड़ी हो या
v. मृत्युलेख या मृत्युलेख के प्रमाण की एक प्रति (प्रोबेट) या
vi. नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किया गया प्रशासन का पत्र।
vii. यदि दावेदार का खाता उसी प्रतिभागी के पास नहीं है, तो दावेदार के खाते की ग्राहक रपट की प्रति(संबंधित डीपी द्वारा प्रमाणित) भी आवश्यक है।

यदि प्रेषित की जाने वाली प्रतिभूतियों का मूल्य 5,00,000 रुपए - से कम है (पारेषण के लिए आवेदन के दिन), तो डीपी निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर अनुरोध को संसाधित कर सकता है:

i. विधिवत भरा गया पारेषण प्रपत्र ।
ii. नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
iii. क्षतिपूर्ति का पत्र (निर्धारित प्रारूप में)।
iv. शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप में) और
v. निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र या पारिवारिक निपटान बैनामा।
vi. यदि दावेदार का खाता उसी प्रतिभागी के पास नहीं है, तो दावेदार के खाते की ग्राहक रपट की प्रति (संबंधित डीपी द्वारा प्रमाणित) भी आवश्यक है।

4. एक या एक से अधिक संयुक्त धारक(कों) की मृत्यु के मामले में पारेषण के लिए क्या प्रक्रिया है?

ऐसे मामले में, नामांकन होने के बावजूद प्रतिभूतियाँ जीवित धारक(कों) को प्रेषित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि खाता श्री क, श्री ख और श्रीमती ग के संयुक्त नामों में है, तो श्री ख की मृत्यु की स्थिति में, प्रतिभूतियों को जीवित बचे धारकों यानी श्री क और श्रीमती ग को दिया जाएगा। जीवित धारक(कों) को डीपी के पास निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी:

i. विधिवत भरा गया पारेषण प्रपत्र।
ii. नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।

उपरोक्त दस्तावेजों की पुष्टि करने और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, डीपी प्रतिभूतियों को जीवित धारक(कों) के खाते में प्रेषित करेगा और मृतक के खाते को बंद कर देगा।

5. 'पारेषण सह डीमैट' का क्या अर्थ है?

'पारेषण सह डीमैट' सुविधा एक बहुत ही उपयोगी सुविधा है, जब भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के संयुक्त धारकों में से एक की मृत्यु हो गयी है और शेष धारक प्रतिभूतियों को डीमैट प्रारूप में अपने नाम से पारेषित करना चाहते हैं। इस सुविधा का उपयोग करके संयुक्त धारकों में से एक मृत धारक के नाम को हटाने और प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण के दोहरे उद्देश्य को एक ही चरण में प्राप्त किया जा सकता है। इसे चित्र संख्या 7 में समझाया गया है:

पारेषण सह डीमैट सुविधा

शेयर प्रमाणपत्र	स्थिति	डीमैट खाता
क और ख या ख और क	धारक क की मृत्यु	ख
तीन धारक क, ख और ग	दो धारकों क और ख की मृत्यु	ग

अपने डीपी के पास मृत्यु प्रमाणपत्र(ओं) और पारेषण अनुरोध के साथ डीआरएफ जमा करें।

चित्र 7

नामांकन

1. 'नामांकन' का क्या अर्थ है?

नामांकन एक आसान प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिभूतियों का धारक यह निर्धारित करता है कि उसकी मृत्यु के बाद ये प्रतिभूतियाँ किसे सौंपी जानी चाहिए। डीमैट खाते के संबंध में नामांकन की प्रक्रिया डीमैट खाता खोलने के समय पर या बाद में किसी भी समय की जा सकती है।

2. नामांकन कौन कर सकता है?

नामांकन केवल एकल या संयुक्त रूप से डीमैट खाते वाले व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। गैर-व्यक्तिगत धारक जैसे सोसाइटी, ट्रस्ट, बॉडी कॉरपोरेट, साझेदारी फर्म, हिंदू संयुक्त परिवार के कर्ता और पावर ऑफ अटॉर्नी के धारक नामांकन नहीं कर सकते हैं।

3. क्या संयुक्त धारक नामांकन कर सकते हैं?

हाँ। संयुक्त धारकों वाले खातों के लिए नामांकन की अनुमति है। हालांकि, संयुक्त धारक(कों) में से किसी की मृत्यु के मामले में, प्रतिभूतियों को जीवित धारक(कों) को प्रेषित किया जाएगा। केवल सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की स्थिति में ही प्रतिभूतियों को नामांकित व्यक्ति (यदि नामांकन दिया गया है, अन्यथा कानूनी उत्तराधिकारी) को प्रेषित कर दिया जाएगा।

4. क्या कोई एनआरआई नामांकन कर सकता है?

हाँ, एनआरआई नामांकन कर सकते हैं। हालांकि, पावर ऑफ अटॉर्नी धारक एनआरआई (NRI) की ओर से नामांकित नहीं कर सकते हैं।

5. क्या कोई अवयस्क नामांकन कर सकता है?

नहीं। अवयस्क सीधे या अपने अभिभावक के माध्यम से नामांकन नहीं कर सकता/सकती है।

6. नामित व्यक्ति (नॉमिनी) कौन हो सकता है?

नामित केवल एक व्यक्ति हो सकता है। सोसाइटी, ट्रस्ट, बॉडी कॉरपोरेट, साझेदारी फर्म, संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता और पावर ऑफ अटॉर्नी धारक जैसे गैर-व्यक्ति डीमैट खाते में नामांकित नहीं हो सकते।

7. क्या नामांकित व्यक्ति एक से अधिक हो सकते हैं?

हाँ, वर्तमान समय में एक डीमैट खाते के लिए तीन नामांकन किए जा सकते हैं। दो या तीन नामांकित व्यक्तियों का उल्लेख किए जाने पर, उस अनुपात (%) का उल्लेख करना भी आवश्यक है, जिसमें खाताधारक की मृत्यु होने पर प्रतिभूतियों को दिया जाना चाहिए।

8. क्या नामांकित व्यक्ति नाबालिग हो सकता है?

हाँ, नाबालिग व्यक्ति नामांकित हो सकता है। जब भी किसी नाबालिग को डीमैट खाते में एक नामित व्यक्ति के रूप में उल्लेख किया जाता है, तो उसके अभिभावक का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

9. क्या डीमैट खाते में रखी गई प्रत्येक प्रतिभूतियों के लिए अलग-अलग नामांकन किया जा सकता है?

नहीं। नामांकन खाते के अनुसार किया जाता है न कि प्रतिभूतियों के लिहाज से। इसका मतलब है, खाताधारक की मृत्यु के मामले में, डीमैट खाते में रखी सभी प्रतिभूतियाँ, पूर्व-पंजीकृत अनुपात में नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरित की जायेंगी। यदि आप विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए अलग-अलग नामांकित व्यक्ति चाहते हैं, तो आप प्रतिभूतियों को अलग-अलग डीमैट खातों में रखने पर विचार कर सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार नामांकित व्यक्तियों का उल्लेख कर सकते हैं।

10. क्या एनआरआई (NRI) नामांकित व्यक्ति हो सकता है?

हाँ, विदेशी मुद्रा विनियमों के प्रावधान के अधीन, एनआरआई डीमैट खाते में नामांकित हो सकता है।

11. नामांकित व्यक्ति को नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है?

डीमैट खाताधारकों को खाता खोलते समय खाता खोलने वाले प्रपत्र में नामांकित व्यक्ति से संबंधित जानकारी का उल्लेख करना होगा। एक डीमैट खाते में तीन अलग-अलग व्यक्तियों का नामिनी के रूप में उल्लेख किया जा सकता है। यदि खाता खोलने के समय नामांकन नहीं किया गया था या किया गया था, लेकिन खाताधारक बाद में कभी भी इसे बदलना चाहता है, तो 'नामांकन' प्रपत्र को भरने और डीपी को प्रदान करने की आवश्यकता है।

12. क्या नामांकित व्यक्ति को बदला जा सकता है?

हाँ, खाताधारक द्वारा नामांकन प्रपत्र को एक बार फिर से भरकर डीपी के पास जमा करके नामांकन को कभी भी बदला जा सकता है।

13. क्या डीमैट खाते में नामांकित होना आवश्यक है?

डीमैट खाते के लिए नामांकन अनिवार्य नहीं है। हालांकि, डीमैट खाते में नामित व्यक्ति का उल्लेख करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। एकल खाताधारक की मृत्यु के मामले में, यह हस्तांतरण की प्रक्रिया को बहुत आसान

और तेज बनाता है। यदि आप खाता खोलने के समय किसी भी नामित व्यक्ति का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं, तो आपको यह बताना होगा कि "मैं/हम नामांकन नहीं करना चाहते हैं"।

प्रतिभूतियों को बंधक और गिरवी रखना

1. शेयर गिरवी रखने का क्या मतलब है?

शेयरों को गिरवी रखना, मूल रूप से किसी व्यक्ति (गिरवी रखने वाला) के किसी अन्य व्यक्ति (गिरवी रखवाने वाला) के पक्ष में गिरवी के रूप में प्रतिभूति का देना है। आम तौर पर ऋण लेने के लिए शेयरधारक द्वारा शेयर गिरवी रखे जाते हैं।

2. अगर मैं अपने बैंक द्वारा दी जाने वाली 'प्रतिभूतियों पर ऋण की सुविधा' का लाभ लेना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए?

इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है:

i. आपको ऋण की राशि, अवधि, ब्याज की दर और दी जाने वाली प्रतिभूतियों के प्रकार आदि के मामले में बैंक के साथ एक सौदे पर पहुँचने की आवश्यकता है। इस तरह के सौदे के व्यावसायिक पहलू आपसी बातचीत के विषय हैं और इसलिए यह निक्षेपागार के दायरे से बाहर है।

ii. आप (गिरवी रखने वाला) और बैंक / ऋणदाता (गिरवी रखवाने वाला) दोनों का एक ही निक्षेपागार (एक या अलग अलग डीपी) के साथ डीमैट खाता होना चाहिए।

iii. आपको गिरवी रखने वाले के रूप में अपने डीपी को विधिवत भरा हुआ 'गिरवी शुरुआत पर्ची' जमा करना होगा।

iv. एक बार जब आपका डीपी आपके निर्देश को संसाधित करता है, तो विवरण बैंक / ऋणदाता के डीपी द्वारा देखा (या खोजा) जा सकता है। तब गिरवी रखने वाले को अपने डीपी को 'गिरवी पुष्टिकरण निर्देश पर्ची' को विधिवत भर कर देना चाहिए। (वैकल्पिक रूप से, गिरवी रखने वाला व्यक्ति अपने डीमैट खाते में 'स्वत: गिरवी पुष्टिकरण' सुविधा का विकल्प चुन सकता है)। इस तरह के निर्देश के निष्पादन पर, निक्षेपागार प्रणाली में गिरवी रखने की व्यवस्था की जाएगी।

2. प्रतिभूतियों पर गिरवी रखे जाने का क्या प्रभाव होता है?

निक्षेपागार प्रणाली में गिरवी निर्देश की एक बार पुष्टि हो जाने पर गिरवी रखने वाले व्यक्ति के डीमैट खाते में अंतर्निहित प्रतिभूतियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं। जब तक ये अवरुद्ध रहती हैं, तब तक वह व्यक्ति उन के निपटान (डेबिट) में अक्षम होता है।

4. लिए गए ऋण को चुकाने के बाद, मुझे अपने डीमैट खाते में मुक्त बैलेंस के रूप में अपनी प्रतिभूतियाँ कैसे वापस मिलेंगी?

ऋण चुकाने पर, व्यक्ति को विधिवत रूप से डीपी द्वारा 'गिरवी समाप्त करने की शुरूआत करने की पर्ची' भरी जानी चाहिए। एक बार निष्पादित होने के बाद, सूचना गिरवी रखवाने वाले के डीपी को अग्रेषित कर दी जाती है। तब गिरवी रखवाने वाला 'गिरवी समाप्त करने की पुष्टि निर्देश' अपने डीपी को दे सकता है। (वैकल्पिक रूप से, गिरवी रखवाने वाला अपने डीपी को निर्देश दे सकता है कि वह गिरवी रखने वाले के अनुरोध की प्रतीक्षा किए बिना इसे बंद कर दे)। एक बार गिरवी के बंद हो जाने पर, प्रतिभूतियों पर लगाया गया अवरोध हटा दिया जाता है और वे गिरवी रखने वाले के लिए मुक्त बैलेंस के रूप में एक बार फिर उपलब्ध हो जाते हैं।

5. क्या मैं गिरवी में दी गई प्रतिभूतियों को बदल सकता हूँ?

हाँ, यदि गिरवी रखवाने वाला (ऋणदाता) सहमत है, तो आप गिरवी में दी गई प्रतिभूतियों को बदल सकते हैं। इस

उद्देश्य के लिए मौजूदा गिरवी को खत्म करके एक नया अनुरोध गिरवी रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।

6. गिरवी रखे गए प्रतिभूतियों पर लाभांश किसे प्राप्त होगा?

गिरवी की अवधि के दौरान गिरवी रखवाने वाला गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का लाभकारी मालिक बना रहता है। इसलिए, इस अवधि के दौरान कंपनी द्वारा घोषित सभी निगमित लाभ उसके ही हैं। गिरवी रखने वाले को लाभ तभी मिलेगा जब अभिलेख तिथि पर प्रतिभूति गिरवी में नहीं है, और प्रतिभूति गिरवी रखने वाले के खाते में हैं।

7. गिरवी रखे शेयरों के लिए बोनस शेयरों का वितरण कैसे होगा?

यदि अभिलेख तिथि पर शेयर गिरवी रखी स्थिति में हैं, तो बोनस शेयरों को गिरवी रखने वाले के पक्ष में चिह्नित करके गिरवी रखवाने वाले के खाते में जमा किया जाता है। बाद में जब गिरवी समाप्त कर दिया जाता है, तो सभी शेयरों (बोनस सहित) को मुक्त बैलेंस के रूप में गिरवी रखने वाले के खाते में जमा किया जाएगा। गिरवी के समापन के मामले में, सभी शेयरों (बोनस सहित) को गिरवी रखने वाले के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

8. डिजिटल एलएएस (LAS) सुविधा क्या है?

डिजिटल एलएएस (शेयरों के बदले ऋण) एनएसडीएल (NSDL) द्वारा शेयरों के विरूद्ध ऋण लेने की प्रक्रिया की ऑनलाइन सुविधा है। इस सुविधा का उपयोग करते हुए, एक डीमैट खाताधारक ऋण देने वाले बैंक के पक्ष में डीमैट खाते में रखी गई योग्य प्रतिभूतियों के जरिए वित्त (ऋण) प्राप्त कर सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप एक सहभागी बैंक से जांच कर सकते हैं।

9. गिरवी (Pledge) और हाईपोथेकेशन (Hypothecation) के बीच क्या अंतर है?

निक्षेपागार प्रणाली में, गिरवी (Pledge) और हाईपोथेकेशन (Hypothecation) के बीच कोई अंतर नहीं है सिवाय इसके कि गिरवी को ऋणदाता द्वारा लागू किया जा सकता है। जबकि, हाईपोथेकेशन के मामले में, लागू करने के लिये उधार लेने वाले (हाईपोथेकेटर) की सहमति की भी आवश्यकता होती है।

प्रतिभूतियों को उधार देना और उधार लेना

1. प्रतिभूतियों का उधार देना और उधार लेने का क्या अर्थ है? यह कैसे कार्य करता है?

प्रतिभूति उधार देना और उधार लेने की योजना (SLBS) एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा अल्पकालिक विक्रेता (short sellers) स्टॉक एक्सचेंज पर अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने या सहायता के तौर पर आवश्यक प्रतिभूतियों को उधार ले सकते हैं। यह योजना 'स्वीकृत मध्यस्थों' के रूप में पंजीकृत समाशोधन निगमों (क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन) द्वारा चलाई जाती है।

स्वीकृत मध्यस्थ के साथ 'प्रतिभागी' के रूप में पंजीकृत करने वाले शेयर दलाल, अपने स्वयं के खाते के लिए या अपने ग्राहकों की ओर से इस योजना (एसएलबीएस) में भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशक ऋणदाता या उधारकर्ता के रूप में अपने शेयर दलाल के माध्यम से योजना में भाग ले सकते हैं। उधार देना और उधार लेना T + 1 निपटान आधार पर निक्षेपागार प्रणाली के माध्यम से होते हैं। एसएलबीएस योजना केवल अभौतिक रूप में ही उपलब्ध है।

2. प्रतिभूतियों के उधार देने और उधार लेने के क्या लाभ हैं?

एसएलबीएस एक बाजार आधारित प्रणाली है जो प्रतिभूतियों की अस्थायी जरूरतों को पूरा करने में सहायता करती है। अल्पकालिक विक्रेता बाजार से प्रतिभूतियों को उधार लेकर अपने दायित्व या संपार्श्विक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। दूसरी ओर ऋणदाता अपने पोर्टफोलियो में बेकार पड़ी प्रतिभूतियों को उधार देकर उधार शुल्क कमाने में

सक्षम होते हैं।

3. क्या मैं अपने खाते में रखी प्रतिभूतियों को उधार दे सकता हूँ?

हाँ। आप ऐसे शेयर दलाल के माध्यम से अपनी प्रतिभूति को उधार पर दे सकते हैं जिन्होंने खुद को 'अनुमोदित मध्यवर्ती' (क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन) के साथ पंजीकृत किया है। आपको अपने शेयर दलाल के साथ एक मानक करार करना होगा।

4. वह कौन सी समय सीमा है जिसमें प्रतिभूतियों को उधार पर दिया या लिया जा सकता है?

उधार देने और उधार लेने की अवधि 1 से 12 महीने के बीच हो सकती है। हालांकि, उधारदाताओं और उधार प्राप्तकर्ताओं के पास प्रतिभूतियों को वापस लेने और जल्दी वापस करने का विकल्प होता है।

5. क्या देने और उधार लेने के लिए किसी भी प्रतिभूति का उपयोग किया जा सकता है?

नहीं। स्टॉक एक्सचेंज के वायदा और विकल्प खंड में व्यापार के लिए उपलब्ध, प्रतिभूतियाँ वर्तमान में उधार देने और उधार लेने के लिए उपलब्ध हैं। एसएलबीएस के तहत पात्र प्रतिभूतियों की सूची समय-समय पर संबंधित अनुमोदित मध्यस्थों द्वारा घोषित की जाती है।

6. मैं अपने डीमैट खाते में पड़ी प्रतिभूतियों को कैसे उधार दे सकता हूँ?

आप अपने शेयर दलाल को प्रतिभूतियों को उधार देने के लिए आदेश दे सकते हैं। आपका शेयर दलाल स्टॉक एक्सचेंज पर आदेश दर्ज करेगा। आदेश के सफल निष्पादन के बाद, आपको अपने शेयर दलाल को वितरण निर्देश पर्ची देनी होगी।

7. मैं अपने द्वारा उधार दी गई प्रतिभूतियों को वापस कैसे पाऊँगा?

प्रतिभूतियों का उधारकर्ता उधार की मंजूर की गई अवधि के अंत में या उससे पहले प्रतिभूतियों को वापस कर सकता है (यदि उस प्रतिभूति के लिए अनुमोदित मध्यस्थ द्वारा लेन-देन की पुरोबन्ध अनुमति है)। वापस होने पर, प्रतिभूतियों को आपके शेयर दलाल के माध्यम से या सीधे समाशोधन निगम द्वारा आपके डीमैट खाते में जमा किया जाएगा।

8. कर्ज पर देने की अवधि के दौरान मुझे प्रतिभूति पर उपार्जित निगमित लाभ किस प्रकार प्राप्त होंगे?

जिन प्रतिभूति में निगमित कार्यवाहियाँ शामिल हैं वे निगमित कार्यवाही के आधार पर लेन-देन के पुरोबंध या समायोजन के अधीन हैं। लाभांश और स्टॉक विखंडन के अलावा निगमित कार्यवाहियों के मामले में सभी लेन-देन पूर्व-तिथि पर पुरोबंधित किए जाते हैं। लाभांश के मामले में, समाशोधन निगम कर्जदार से लाभांश राशि जमा करता है और कर्जदाता को भुगतान कर देता है। स्टॉक विखंडन के मामले में, कर्ज लेने वाले की स्थिति अनुपात में समायोजित की जाती है और कर्जदाता को रिवर्स लेग सेटलमेंट तिथि पर संशोधित परिमाण मिल जाएँगे।

9. प्रतिभूति से जुड़ी अपनी थोड़े समय की जरूरतों की पूर्ति के लिए मैं किस प्रकार कर्ज ले सकता हूँ?

आप अपने शेयर दलाल के पास नाम, जरूरी प्रतिभूति की संख्या, कर्ज लेने की अवधि जैसे विवरण स्पष्ट करते हुए अपना आदेश दे सकते हैं। आपका शेयर दलाल आपका आदेश एक्सचेंज पर डाल देगा। भुगतान प्राप्त होने पर आपका शेयर दलाल प्रतिभूति को आपके डीमैट खाते में जमा करने की व्यवस्था करेगा। आपको अवधि की समाप्ति पर (या उससे पहले, यदि आप ऐसा चाहें और यह मध्यवर्ती द्वारा अनुमोदित हो) कर्ज पर ली गई प्रतिभूति वापस लौटानी होंगी।

डीमैट खाते के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी का प्रयोग करना

1. क्या कोई अन्य व्यक्ति मेरी ओर से मेरा डीमैट खाता संचालित कर सकता है?

हाँ। यदि आप किसी व्यक्ति के नाम पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) जारी कर उसे डीपी के पास प्रस्तुत करके उस व्यक्ति को अपना डीमैट खाता संचालित करने के लिए प्राधिकृत करते हैं तो वह व्यक्ति आपकी ओर से आपका खाता संचालित कर सकता है। डीमैट खाते को खाता धारक तथा पीओए धारक दोनों ही संचालित कर सकते हैं।

2. क्या मेरे शेयर दलाल / डीपी को पीओए देना जरूरी है?

नहीं, पीओए देना अनिवार्य नहीं है। कोई भी शेयर दलाल या डीपी अपनी सेवाएँ प्रदान करने हेतु इसके लिए जोर नहीं डाल सकता। हालाँकि, यदि आप अपने शेयर दलाल द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो सेबी (SEBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार वह आपसे पीओए प्रदान करने की माँग कर सकता है।

3. यदि मैं किसी व्यक्ति को पीओए देना चाहूँ तो मुझे कौन-सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए?

सबसे पहले, आपको इस बारे में पूरी तरह संतुष्ट हो जाना चाहिए कि आप वाकई किसी को पीओए देना चाहते हैं। यदि आपको अपने डीपी के पास डीआईएस प्रस्तुत करने में समस्या पेश आ रही है तो आप स्पीड-ई (SPEED-e) सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

यदि आपने किसी को पीओए देने का निर्णय लिया है तो कृपया सुनिश्चित करें कि उसे केवल नियत प्रयोजनों के लिए उचित शक्तियाँ सौंपने के लिए ड्राफ्ट किया गया है। सामान्य पॉवर ऑफ अटॉर्नी से बचना बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त, सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शेयर दलाल को दिए गए पीओए का उपयोग केवल ग्राहक के निर्देशों के अनुसार किए गए व्यापार से उत्पन्न होने वाले निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए ही किया जा सकता है।

4. मैंने अपने शेयर दलाल को पीओए दिया था। अब मैं नहीं चाहता/चाहती कि वह इसके बाद उसका उपयोग करे। मुझे क्या करना चाहिए?

अपने आशय की जानकारी अपने शेयर दलाल को देने के साथ-साथ आपको अपने डीपी को एक आवेदन से शेयर दलाल के नाम पर प्रदान किए गए पीओए को निरस्त करने की सूचना देनी होगी। संयुक्त खाता धारक(कों) के मामले में सभी खाता धारकों को ऐसे आवेदन पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

एनएसडीएल (NSDL) द्वारा ई-सेवाएँ

तकनीकी क्षेत्रों में हो रहे विकासों पर निर्भर करते हुए एनएसडीएल (NSDL) लगातार परिवर्तन करता रहा है और ज्यादा से ज्यादा निक्षेपागार सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहा है। इनमें से कुछ सेवाओं के बारे में नीचे बताया गया है -

स्पीड-ई (SPEED-e)

स्पीड-ई एनएसडीएल (NSDL) द्वारा पेश की गयी इन्टरनेट आधारित सुविधा है। यह डीमैट खाता धारक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुपुर्दगी, गिरवी रखने और म्युचुअल फंड विमोचन संबंधित निर्देश देने में सक्षम करता है और इस प्रकार प्रक्रिया को ज्यादा तेज, सुरक्षित एवं कुशल बनाता है। यह सुविधा कंप्यूटर (डेस्कटॉप/ लैपटॉप) पर उपलब्ध है। पासवर्ड उपयोगकर्ता इसका उपयोग मोबाइल फोन पर भी कर सकते हैं। डीमैट खाता धारक इस सुविधा का लाभ तब ही उठा सकते हैं यदि उनके डीपी की ओर से यह सेवा प्रदान की जाती है। यह सुविधा प्रदान करने वाले डीपी की सूची https://nsdl.co.in/speede-dps.php पर उपलब्ध है।

1. स्पीड-ई सुविधा का उपयोग मैं कैसे कर सकता/सकती हूँ?

इस सुविधा का उपयोग वे डीमैट खाता धारक कर सकते हैं जिन्होंने इस प्रयोजन के लिए खुद को पंजीकृत किया है। आपका डीपी इस सुविधा के लिए पंजीकृत करने में आपकी मदद करेगा। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप ऑनलाइन निर्देश प्रस्तुत करने में समर्थ होंगे और ऐसे निर्देशों की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। आपको अपने डीपी के पास भौतिक निर्देश पर्चियाँ भरने और प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। अधिक जानकारी एवं रजिस्ट्रेशन के लिए कृपया https://eservices.nsdl.com/ पर जाएँ।

2. यदि मैं स्पीड-ई उपयोगकर्ता हूँ तो क्या मैं प्रतिभूति को अपनी पसंद के किसी भी खाते में स्थानान्तरित कर सकता/सकती हूँ?

स्पीड-ई मंच पर प्रस्तुत किए जा सकने वाले सुपुर्दगी निर्देश आपके द्वारा चुने गए विकल्प पर निर्भर करता है। यहाँ दो विकल्प उपलब्ध हैं - पासवर्ड उपयोगकर्ता एवं ई-टोकन उपयोगकर्ता।

पासवर्ड उपयोगकर्ता पासवर्ड के साथ लॉग इन कर सकतें हैं और प्रतिभूति को अपनी पसंद के केवल छः पूर्वनिर्देशित ब्रोकर खातों में स्थानान्तरित कर सकते हैं। ई-टोकन उपयोगकर्ता ई-टोकन की मदद से लॉग इन करते हैं और वे प्रतिभूति को अपनी पसंद के किसी भी डीमैट खाते में स्थानान्तरित कर सकते हैं।

3. क्या स्पीड-ई सुविधा के ई-टोकन उपयोगकर्ताओं को कोई अतिरिक्त लाभ मिलता है?

स्पीड-ई सुविधा में ई-टोकन विकल्प के अतिरिक्त लाभ निम्नलिखित हैं:

i. संयुक्त धारकों द्वारा निर्देशों की अनुमति।

ii. आप अपना डीमैट खाता फ्रीज कर सकते हैं (पूर्ण या आंशिक रूप से)। यदि स्पीड-ई उपयोगकर्ता खाता को स्थिर कर दे तो उसे केवल उसी स्पीड-ई उपयोगकर्ता द्वारा ही चालू किया जा सकता है। इसलिए आप जब चाहें सुपुर्दगी निर्देश प्रस्तुत कर सकते हैं और प्रतिभूति स्थानान्तरित कर सकते हैं, खाता लॉक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे अनलॉक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके खाते का पूरा नियंत्रण आपके हाथों में ही रहता है।

4. क्या स्पीड-ई का पासवर्ड उपयोगकर्ता पूर्व-सूचित ब्रोकर खाते बदल सकता है?

हाँ, पूर्व-सूचित ब्रोकर खाता जिसमें पासवर्ड उपयोक्ताओं के पास प्रतिभूति स्थानान्तरित करने की अनुमति है उसे डीपी को सूचित करके बदला जा सकता है। ये बदलाव आपके डीपी से अनुमति के बाद प्रभावी होते हैं।

आईडीईएएस/IDeAS

इन्टरनेट आधारित डीमैट खाता विवरण (आईडीईएएस/IDeAS) डीमैट खाता धारकों के लिए इन्टरनेट आधारित सुविधा है जिसकी मदद से वे अपने डीमैट खाते में हुए लेन-देन देख सकते हैं। यह खाता धारकों को खाता शेष के साथ-साथ संबंधित मूल्य देखने में सक्षम करती है। खाता धारक पिछले 12 महीनों के लिए लेन-देन का माहवार विवरण देख/डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक इस सुविधा का उपयोग नहीं किया है तो आप अपने डीपी से इसके लिए पंजीकृत करने का अनुरोध कर सकते हैं या https://eservices.nsdl.com/ पर इसे खुद ही ऑनलाइन कर सकते हैं। यह सुविधा खाता धारकों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है।

एनएसडीएल (NSDL) मोबाइल ऐप

डीमैट खाता धारकों के लिए एनएसडीएल (NSDL) ने एक अत्यंत उपयोगी मोबाइल ऐप विकसित किया है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग बैलेंस देखने के लिए और एनएसडीएल (NSDL) ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करने के लिए किया जा सकता है। यह ऐप खाता धारकों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है।

ई-वोटिंग

एनएसडीएल (NSDL) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई-वोटिंग) प्रत्येक शेयरधारक को मीटिंग की जगह पर भौतिक रूप से उपस्थिति हुये बिना वोट देने के अधिकार का उपयोग करने देता है। ई-वोटिंग सेवा को स्पीड-ई के साथ-साथ एनएसडीएल (NSDL) मोबाइल ऐप के साथ जोड़ा गया है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.evoting.nsdl.com/ पर जाएँ।

एनएसडीएल (NSDL) की अन्य उपयोगी सेवाएँ

एनएसडीएल (NSDL) समेकित खाता विवरण

एनएसडीएल (NSDL) प्रत्येक डीमैट खाता धारक को उसके सभी डीमैट खाता(तों) और म्युचुअल फंड निवेश के लिए खाता विवरण के रूप में समेकित खाता विवरण (CAS) भेजता है। होल्डिंग प्रथम धारक के पैन के आधार पर संकलित की जाती हैं।

i. यह विवरणी प्रति माह भेजी जाती है यदि उस माह के दौरान खाते में कोई लेन-देन हुआ है। यदि आपने अपने डीपी को अपना ईमेल आईडी और सहमति प्रदान की है तो विवरणी आपको ईमेल द्वारा भेजा जाएगी।

ii. विवरणी में आपके प्रत्येक निवेश का मूल्य, समग्र पोर्टफोलियो मूल्य एवं ग्राफ भी दर्शाया जाता है जो अवधि के दौरान कुल पोर्टफोलियो मूल्य में हुए बदलाव को दर्शाता है।

iii. यह अन्य विवरण भी दर्शाता है जैसे कि आपका केवाईसी अद्यतन है या नहीं, आपके म्युचुअल फंड फोलियो में दिया गया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आदि। यदि आपको कोई त्रुटि दिखाई दे या आपको अपडेट की जरूरत हो तो आप म्युचुअल फंड कंपनी या उसके रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं।

iv. विवरणी प्राप्त न होने या विवरणी में कोई त्रुटि दिखाई देने की स्थिति में कृपया अपने डीपी से तुरंत संपर्क करें या NSDL-CASfeedback@nsdl.co.in पर ईमेल करें।

आपको अपने सभी डीमैट खातों एवं म्युचुअल फंड फोलियो में धारित अपने प्रत्येक निवेश के लिए विवरण की अवधि एवं अंतिम शेष देखना चाहिए।

एनएसडीएल (NSDL) ने https://nsdlcas.nsdl.com/ पर एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है ताकि एनएसडीएल (NSDL) डीमैट खाता धारक सीधे एनएसडीएल (NSDL) को ईमेल आईडी प्रदान करके ईमेल (ई-सीएएस) के माध्यम से सीएएस (CAS) प्राप्त कर सकें। इस सुविधा का उपयोग ई-सीएएस प्राप्त करने हेतु ईमेल आईडी बदलने के लिए भी किया जा सकता है।

एसएमएस (SMS) चेतावनी सुविधा

1. एसएमएस चेतावनी सुविधा क्या है?

एनएसडीएल (NSDL) डीमैट खाता धारकों को उनके खाते में हो रहे महत्वपूर्ण लेन-देनों की निगरानी करने में मदद करने के लिए उनके डीमैट खाते में पंजीकृत किए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) चेतावनी भेजता है। चूँकि चेतावनी एनएसडीएल (NSDL) द्वारा सीधे भेजी जाती है, वो डीमैट खाते की सही स्थिति को दर्शाती है। यह सुविधा डीमैट खाता धारकों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है।

2. मैं एसएमएस चेतावनी सुविधा के लिए पंजीकृत कैसे करूँ?

यदि आपने अभी तक इस सुविधा का उपयोग नहीं किया है तो आप अपने डीपी को अपना मोबाइल नंबर देते हुए एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करके खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। आपके डीपी द्वारा आपका मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक रिकॉर्ड होने और एसएमएस चेतावनी प्राप्त करने के लिए निक्षेपागार प्रणाली में एसएमएस फ्लैग विकल्प सक्षम होने पर आपको चेतावनी मिलनी शुरू हो जाएगी।

जो खाता धारक डीपी के पास अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करना चाहते हैं लेकिन यह सुविधा प्राप्त नहीं करना चाहते वे अपने डीपी से एसएमएस फ्लैग को अक्षम करने का अनुरोध कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसे खाते पॉवर ऑफ अटॉर्नी द्वारा संचालित नहीं किए जाते हैं और मूलभूत सेवा डीमैट खाते (BSDA) नहीं हैं।

3. एसएमएस चेतावनी किन लेन-देनों के लिए भेजे जाते हैं?

आपको निम्नलिखित के लिए एनएसडीएल (NSDL) से सीधे एसएमएस मिलेंगे -

i. सभी डेबिट स्थानान्तरण
ii. आईपीओ, सब-डिवीजन और बोनस के लिए क्रेडिट
iii. विफल निर्देश
iv. अतिदेय निर्देश
v. मोबाइल नंबर में बदलाव
vi. पते में बदलाव
vii. म्युचुअल फंड इकाई का डेबिट
viii. पॉवर ऑफ अटॉर्नी का पंजीकरण और अपंजीकरण
ix. नामित के नाम में बदलाव, उसका निरस्तीकरण, उसे हटाना
x. गिरवी की शुरुआत, पुष्टिकरण एवं लागू करना (गिरवीकर्ता को)
xi. निविदा प्रस्ताव निर्देश के संबंध में शेयर अवरूद्ध और डेबिट करना।

निक्षेपागार प्रणाली में पता बदलवाने तथा पॉवर ऑफ अटॉर्नी के पंजीकरण और अपंजीकरण के लिए पंजीकृत किए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस चेतावनी भेजी जाती है, चाहे खाता धारक ने इस सुविधा का चयन किया हो या नहीं।

4. मैं एसएमएस चेतावनी सुविधा के लिए क्यों पंजीकृत करूँ?

डीमैट खाते में किए गए कई महत्वपूर्ण लेन-देनों के लिए एनएसडीएल (NSDL) पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सीधे सन्देश भेजता है। यह आपके डीमैट खाते को सुरक्षित रखने के लिए निगरानी करने का एक प्रभावी तरीका है।

5. यह सुविधा प्राप्त करने के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है?

खाता धारक को यह सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल (NSDL) डीपी पर कोई शुल्क नहीं लगाता है।

6. मैंने डीमैट खाता खोलते समय डीपी को अपना मोबाइल नंबर दिया था। क्या फिर भी मुझे इस सुविधा के

लिए पंजीकृत करने की जरूरत है?

यदि आपको एसएमएस चेतावनी नहीं मिल रही है तो आपको अपने डीपी से निक्षेपागार प्रणाली में एसएमएस चेतावनी फ्लैग को सक्षम करने का अनुरोध करना होगा। केवल मोबाइल नंबर प्रदान करना काफी नहीं है।

7. यदि मैंने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया तो मुझे क्या करना चाहिए?

यदि आप अपना मोबाइल नंबर बदल दें तो आपको बस अपने डीपी को लिखित में अपना नया मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा। निक्षेपागार प्रणाली में डीपी द्वारा यह बदलाव दर्शाए जाने के बाद आपको इस बारे में अपने पुराने और साथ ही अपने नये मोबाइल नंबर पर एक सन्देश मिलेगा। यदि आप अपना मोबाइल नंबर बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विकल्प सुविधाजनक लग सकता है जिसके माध्यम से आप अपना वर्तमान मोबाइल नंबर अपने पास सुरक्षित रखते हुए अपना सेवा प्रदाता बदल सकते हैं।

8. क्या मेरे लिए एसएमएस चेतावनी सुविधा के लिए पंजीकृत करना अनिवार्य है?

नहीं, जिन अकेले खाताधारकों के पास मूलभूत सेवा डीमैट खाता है और जिनके खाते पॉवर ऑफ अटॉर्नी द्वारा संचालित होते हैं उनके अलावा किसी अन्य के लिए यह सुविधा अनिवार्य तो नहीं है लेकिन इसका सुझाव दिया जाता है। चूँकि यह चेतावनी सीधे निक्षेपागार द्वारा भेजी जाती है, आपके पास अपने खाते में हो रहे महत्वपूर्ण लेन-देनों की निगरानी करने और जरूरत के अनुसार उचित कार्यवाही करने की संभावना रहती है।

डीमैट खाते में म्युचुअल फंड इकाई रखना

डीमैट खाते में अन्य किसी भी अन्य प्रतिभूति की तरह किसी भी परिसंपत्ति कंपनी द्वारा जारी किए गए म्युचुअल फंड इकाई रखे जा सकते हैं। इससे आपको एक ही जगह पर अपने सभी निवेशों की निगरानी करने में मदद मिलती है। डीमैट खाताधारक एनएफओ/एसआईपी के लिए आवेदन करके सीधे डीमैट खाते में क्रेडिट का अनुरोध कर सकते हैं।

1. म्युचुअल फंड इकाई (खाता विवरणी द्वारा दर्शाया जाता है) को डीमैट रूप में बदलने का क्या मतलब है?

यदि आपने म्युचुअल फंड इकाई को भौतिक रूप में रखे हुए हैं जिन्हें खाता विवरणी (SOA) के रूप में दर्शाया जाता है और आप उन्हें डीमैट रूप में रखना चाहते हैं तो एक निर्धारित प्रपत्र में अपने डीपी को एक अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को म्युचुअल फंड इकाई को डीमैट रूप में बदलना कहते हैं।

2. यदि मेरे पास डीमैट खाता न हो तो मुझे क्या करना चाहिए?

यदि आपके पास डीमैट खाता नहीं है और आप अपने म्युचुअल फंड निवेशों को डीमैट रूप में बदलना चाहते हैं तो आपको किसी एनएसडीएल (NSDL) डीपी के पास डीमैट खाता खोलना होगा।

3. म्युचुअल फंड इकाई को डीमैट रूप में रखने के क्या लाभ हैं?

i. आपको एक अकेला समेकित खाता विवरण मिलेगा जिसमें म्युचुअल फंड इकाई सहित विभिन्न प्रतिभूति में आपके सभी निवेशों का उल्लेख होगा। आपको म्युचुअल फंड कंपनियों से मिलने वाले अलग-अलग विवरण देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ii. आपके डीमैट खाते में दर्ज किए गए पते में बदलाव सभी संबंधित जारीकर्ता कंपनियों एवं म्युचुअल कंपनियों/रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट (रजिस्ट्रार) के पास पंजीकृत हो जाते हैं। इस प्रकार, हर एक को अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती है।

iii. आईडियाज (IDeAS) और एनएसडीएल (NSDL) मोबाइल ऐप जैसी सुविधाओं के उपयोग से आप अत्यंत तेज और कुशल तरीके से लेन-देनों एवं होल्डिंगों की निगरानी कर सकते हैं।

iv. आपके डीमैट खाते से म्युचुअल फंड इकाई डेबिट होने पर आप एसएमएस चेतावनी प्राप्त करते हैं।

v. आप स्पीड-ई सुविधा की सदस्यता ले करके म्युचुअल फंड इकाई के ऑनलाइन विमोचन के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

4. म्युचुअल फंड इकाई (खाता विवरण द्वारा दर्शाया जाता है) को डीमैट रूप में बदलने की क्या प्रक्रिया है?

आपको अपने डीपी के पास खाता विवरण के साथ उचित रूप से भरा गया रूपांतरण अनुरोध प्रपत्र (CRF) जमा कराना होगा। जरूरी जाँचें पूरी होने के बाद आपका डीपी आपका अनुरोध संबंधित एएमसी / उसके रजिस्ट्रार को अग्रेषित कर देगा। एएमसी / रजिस्ट्रार से पुष्टिकरण मिलने के बाद म्युचुअल फंड इकाई आपके डीमैट खाते में क्रेडिट कर दिए जाएँगे।

5. क्या अनिवासी भारतीय (NRI) एनआरआई स्थिति के अंतर्गत धारित म्युचुअल फंड इकाई को डीमैट रूप में बदल सकते हैं?

हाँ, बशर्ते डीमैट खाता एनआरआई स्थिति के अंतर्गत खोला गया है।

6. मैं स्टॉक एक्सचेंज मंच के माध्यम से म्युचुअल फंड इकाई के लिए कैसे सदस्यता ले सकता/सकती हूँ?

आपको बस अपने शेयर दलाल को जरूरी राशि के साथ सदस्यता आदेश देना होगा। आपका ब्रोकर अनुरोध को स्टॉक एक्सचेंज के मंच पर डाल देगा। भुगतान के दिन एएमसी / रजिस्ट्रार से इकाई प्राप्त होने पर आपका ब्रोकर/ समाशोधन निगम आपके डीमैट खाते में इच्छित म्युचुअल फंड इकाई जमा करवाने की व्यवस्था करेगा।

7. मैं अपने डीमैट खाते में धारित म्युचुअल फंड इकाई का मोचन कैसे कर सकता/सकती हूँ?

आप अपने डीपी या शेयर दलाल के माध्यम से डीमैट रूप में धारित म्युचुअल फंड इकाई वापस प्राप्त कर सकते हैं। स्पीड-ई उपयोक्ता मोचन का अनुरोध ऑनलाइन भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

8. मेरे डीपी के माध्यम से डीमैट रूप में रखे गए म्युचुअल फंड इकाई को रीडीम करने की प्रक्रिया क्या है?

आपको अपने डीपी के पास सही तरीके से भरा गया रीडीम प्रपत्र (RF) प्रस्तुत करना होगा। जरूरी जाँचें पूरी होने के बाद आपका डीपी आपका अनुरोध संबंधित एएमसी/रजिस्ट्रार को अग्रेषित कर देगा। जरूरी सत्यापन पूरी होने के बाद रीडीम की जाने वाली राशि एएमसी/रजिस्ट्रार द्वारा आपके द्वारा जोड़े गए बैंक खाते में सीधी जमा कर दी जाएगी। आप अपने डीपी के पास एक विशिष्ट मात्रा या सारे इकाई के लिए या एक इच्छित राशि के लिए मोचन अनुरोध दे सकते हैं।

9. शेयर दलाल के माध्यम से डीमैट रूप में धारित म्युचुअल फंड इकाई मोचित करने की प्रक्रिया क्या है?

आपको अपने शेयर दलाल को मोचन आदेश देना होगा। साथ ही, आपको आपके डीपी के पास वितरण निर्देश पर्ची प्रस्तुत करनी होगी ताकि म्युचुअल फंड इकाई एनएसई क्लीयरिंग लिमिटेड/इंडियन क्लीयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के निर्दिष्ट सीएम पूल खाते में हस्तान्तरित हो जाएँ।

10. क्या मैं म्युचुअल फंड इकाई एक डीमैट खाते से दूसरे डीमैट खाते में स्थानान्तरित कर सकता/सकती हूँ?

हाँ। आप म्युचुअल फंड इकाई अपने डीमैट खाते से अपनी पसंद के किसी भी अन्य डीमैट खाते में (उसी या भिन्न

डीपी / डिपाजिटरी द्वारा धारित) स्थानान्तरित कर सकते हैं सिवाए उन म्युचुअल फंड इकाई के जो किसी कारणवश लॉक-इन स्थिति के अंतर्गत हैं।

डीमैट खाते में अपडेट / परिवर्तन

डीमैट खाता खोलने के बाद ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें खाता खोलने हेतु प्रपत्र में प्रदान की गई जानकारी में परिवर्तन हो जाएँ। उदाहरण के लिए -

i. खाताधारक का नाम
ii. खाताधारक का पता
iii. बैंक खाता विवरण
iv. नामिती या पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारक
v. खाता धारक के हस्ताक्षर
vi. ईमेल आईडी
vii. टेलीफोन/ मोबाइल नंबर

ऐसी किसी भी परिस्थिति में यह जरूरी है कि खाता धारक डीपी को नई जानकारी प्रदान करे ताकि निक्षेपागार के रिकॉर्ड अद्यतन हो सकें और सेवाएँ किसी रुकावट के बिना जारी रहें। खाता धारक को डीपी को एक उचित रूप से हस्ताक्षरित लिखित अनुरोध एवं जरूरी कागजात प्रदान करने होंगे।

1. क्या खाता खोलने के बाद खाता धारक का नाम बदला जा सकता है?

i. जी हाँ, डीमैट खाता खोलने के बाद उसमें खाता धारक का नाम बदला जा सकता है। लिखित अनुरोध के साथ जरूरी कागजात बदलाव के प्रकार पर निर्भर करते हैं। यदि बदलाव डीपी द्वारा की गई किसी डेटा प्रविष्टि त्रुटि के कारण है तो इसे खाता धारक से अनुरोध मिलने पर, किसी कागजात की माँग किए बिना, डीपी द्वारा खुद ठीक किया जा सकता है।

ii. मामूली सुधारों (जैसे वर्तनी में सुधार, संक्षिप्त शब्द या आद्याक्षर) के मामले में, पहचान का कोई प्रमाण जैसे पैन(PAN) कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति जिसमें सही नाम दर्ज है, की जरूरत होती है। खाता धारक को यह पुष्टि भी करनी चाहिए कि नाम में बदलाव का कारण विवाह, तलाक, न्यायालय के आदेश आदि जैसे कारणों से नहीं किया जा रहा। यदि कोई व्यक्ति अंकज्योतिष आदि कारणों से अपने नाम की वर्तनी में बदलाव करवाता है तो इसे नाम में सुधार नहीं बल्कि नाम में बदलाव माना जाएगा।

नाम में बदलाव या सुधार के अन्य मामलों में निम्नलिखित कागजातों की जरूरत है -

विवाह के कारण नाम में बदलाव	विवाह को छोड़कर किसी अन्य कारण से नाम में बदलाव
विवाह प्रमाणपत्र या पासपोर्ट की प्रति जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या सरकारी राजपत्र में नाम परिवर्तन का प्रकाशन हुआ है।	सरकारी राजपत्र में नाम परिवर्तन का प्रकाशन

कर्नाटक एवं पंजाब के निवासी जहाँ सरकारी राजपत्र में नाम परिवर्तन के प्रकाशन की सुविधा उपलब्ध न हो, निम्नलिखित कागजात प्रदान कर सकते हैं -

i. नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यान्वित शपथबद्ध/एफिडेविट जिसमें नाम परिवर्तन का कारण एवं उनका पूरा पता बताया गया है।

ii. किसी एक स्थानीय अखबार और एक राष्ट्रीय अखबार में प्रकाशन।

iii. परिवर्तित नाम में पहचान का प्रमाण एवं पते का प्रमाण।

खाता धारक को उपरोक्त कागजात की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ सत्यापन के लिए मूल कागजात भी प्रस्तुत करने होंगे।

2. क्या मैं डीमैट खाते में अपने बैंक खाते का विवरण बदल सकता हूँ?

हाँ। आप किसी भी समय अपने डीपी को एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत कर अपने डीमैट खाते में पंजीकृत किए गए बैंक खाता विवरण बदल सकते हैं। आपको अपने नए बैंक खाते का प्रमाण जैसे पासबुक या खाता विवरण या रद्द किए गए चेक की प्रति जिसमें आपका नाम, बैंक खाता नंबर, बैंक का नाम, एमआईसीआर और आईएफएससी कोड है, देना होगा।

3. यदि मेरा पता बदल जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे हर कंपनी को लिखकर सूचित करना होगा?

यदि आपका पता बदल जाए तो आपको अपने नए पते की सूचना सिर्फ अपने डीपी को देनी होगी। जब डीपी नए पते को निक्षेपागार प्रणाली में दर्ज करेगा तो यह अपने आप से उन सभी कंपनियों सूचित हो जायेगा जिनमें आप शेयर आदि रखते हैं।

4. मैं अपने डीपी के पास अपना पता कैसे बदलूँ?

आप अपने डीपी को एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत कर निक्षेपागार प्रणाली में अपना पता बदल सकते हैं। ऐसे अनुरोध पत्र सभी संयुक्त धारकों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए यदि खाता संयुक्त रूप से धारित है। अनुरोध के साथ निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने होंगे -

i. डीमैट खाते का नवीनतम लेन-देन विवरण (यदि ग्राहक डीपी के पास खुद जाता है तो इसकी जरूरत नहीं है)।

ii. किसी भी पहचान पत्र की स्व-हस्ताक्षरित प्रति जैसे - पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड।

iii. नए पते के प्रमाण के रूप में किसी भी कागजात की स्व-हस्ताक्षरित प्रति - पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस।

आपको अपने डीपी द्वारा फोटोकॉपी के सत्यापन के प्रयोजन के लिए मूल कागजात प्रस्तुत करने होंगे। आप या आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सहभागी के अधिकारी की उपस्थिति में एक बार फिर आवेदन पर हस्ताक्षर करने चाहिए। निक्षेपागार प्रणाली में पते में बदलाव का अनुरोध पूरा होने के बाद, एनएसडीएल (NSDL) तथा डीपी खाता धारक (धारकों) को अपडेट की सूचना देंगे।

डीमैट खाते में निगमित लाभ प्राप्त करना

1. रिकॉर्ड तिथि का क्या महत्व है?

रिकॉर्ड तिथि वह तिथि है जिसे कंपनी द्वारा कट-ऑफ दिवस माना जाता है ताकि किसी प्रकार के निगमित लाभ हेतु वितरण के लिए शेयरधारकों की सूची बनाई जा सके। यदि आपका नाम 'रिकॉर्ड तिथि' पर शेयरधारकों की सूची में शामिल है तो आप कंपनी द्वारा घोषित लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। इसलिए, आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा लाई गई प्रतिभूति आपके ब्रोकर द्वारा रिकॉर्ड तिथि से पहले आपके खाते में ट्रान्सफर कर दी गई है।

2. मुझे मेरे लाभांश/ब्याज या अन्य नकदी अधिकार कैसे प्राप्त होंगे?

संबंधित कंपनी एनएसडीएल (NSDL) से रिकॉर्ड तिथि पर लाभार्थी धारकों के विवरण प्राप्त करती है। देय राशि कंपनी द्वारा डीमैट खाता धारक के जोड़े गए बैंक खाते में सीधी जमा कर दी जाती है।

3. यदि मैंने डीमैट रूप में शेयर धारण किए हुए हैं तो मुझे बोनस शेयर कैसे मिलेंगे?

संबंधित कंपनी एनएसडीएल (NSDL) से रिकॉर्ड तिथि पर लाभार्थी धारकों का विवरण प्राप्त करती है। आप जितने शेयर के अधिकारी हैं उन्हें कंपनी /उसके रजिस्ट्रार द्वारा आपके डीमैट खाते में जमा कर दिया जाता है।

4. मैं यह पुष्टि कैसे करूँ कि मेरे डीमैट खाते में जमा किए गए बोनस /राइट्स सही है?

बोनस /राइट्स के लिए जारीकर्ता कंपनी/उसके रजिस्ट्रार द्वारा एक आवंटन सूचना दी जाती है। आपको इसकी जांच आपको मिले डीमैट खाता विवरण के साथ करनी चाहिए। सूचना में दर्शाई गई मात्रा, खाता विवरण में दी गई मात्रा के साथ मेल खानी चाहिए।

एनएसडीएल (NSDL) सेवाओं के लिए शुल्क

1. खाता खोलने और निक्षेपागार से जुड़े अन्य लेन-देनों के लिए क्या शुल्क लगाए जाते हैं?

एनएसडीएल (NSDL) डीपी से निश्चित शुल्क लेता है, डीमैट खाताधारकों से नहीं। डीपी द्वारा एनएसडीएल (NSDL) को देय शुल्कों के संपूर्ण विवरण https://nsdl.co.in/joining/fee-payable-by-depository-participants.php पर उपलब्ध हैं।

डीपी अपने द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए ग्राहक से शुल्क वसूलता है। डीपी अपनी विभिन्न सेवाओं के लिए आपसे जो शुल्क वसूलेगा उनकी जानकारी उस 'दर सूची' में दी गई है जो आपको खाता खोलते समय प्रदान की गई थी। आपको इसकी एक प्रति अपने पास सन्दर्भ के लिए रखनी चाहिए। यदि आपका डीपी चाहे तो वह आपको 30 दिनों का नोटिस देकर शुल्कों में बदलाव कर सकता है।

आपके डीमैट खाते की देखभाल करना

1. क्या डीआईएस पर कार्यान्वयन तिथि न लिखना सही है?

नहीं। आपको अपने डीपी को कार्यान्वयन तिथि के बिना डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप (DIS) प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। यह वह तिथि होनी चाहिए जिस पर आप बताई गई प्रतिभूति और उसकी मात्रा के लिए अपने खाते को डेबिट कराना चाहते हैं। बाजार निर्देश के मामले में, यह भुगतान तिथि के भीतर होनी चाहिए। बाजार के बाहर ट्रान्सफर के लिए यह आपकी पसंद की कोई भावी तिथि भी हो सकती है।

2. मुझे कैसे पता चलेगा कि हर लेन-देन के बाद मेरे डीपी ने मेरा खाता अपडेट कर दिया है?

आपको समय-समय पर लेन-देन एवं शेष दर्शाने वाले खाता विवरण भेजे जाएँगे ताकि आपको अपने खाते में होने वाले बदलावों की निगरानी करने में मदद मिल सके। आप यही निगरानी एसएमएस अलर्ट, आईडियाज और मोबाइल ऐप जैसी सुविधाओं के उपयोग से भी कर सकते हैं।

3. मुझे कितनी जल्दी अपना डीमैट खाता विवरण प्राप्त करना चाहिए?

एनएसडीएल (NSDL) आपको मासिक अंतरालों (बीएसडीए धारकों को तिमाही अंतरालों पर) पर एक समेकित खाता विवरण देता है यदि उस महीने (तिमाही) में कोई लेन-देन हुआ है। यदि खाते में कोई लेन-देन नहीं हुआ है या यदि वर्ष के दौरान शेष शून्य हो जाता है, तो ऐसे ग्राहकों को वार्षिक विवरण भेजा जाता है।

4. यदि मेरे खाता विवरण में कोई त्रुटि हुई तो मुझे क्या करना चाहिए?

खाता विवरण में त्रुटि होने पर आपको तुरंत अपने डीपी से संपर्क करना चाहिए। यदि समस्या डीपी स्तर पर नहीं सुलझी तो आपको एनएसडीएल (NSDL) से संपर्क करना चाहिए।

5. यदि मैं अपना खाता विवरण खो दूँ तो मुझे क्या करना चाहिए?

इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस एनएसडीएल (NSDL) से अनुरोध करना होगा कि वह आपको इच्छित अवधि के लिए दोबारा विवरण प्रदान करे। आपके लिए ई-सीएएस (e-CAS) का चुनाव सुविधाजनक हो सकता है जो यह सुनिश्चित करता है कि विवरण आप तक पहुँचने के दौरान खो न जाए या किसी गलत स्थान पर न पहुँच जाए। आईडियाज (IDeAS) और मोबाइल ऐप जैसी सुविधाओं के उपयोग से आप कभी भी अपनी इच्छानुसार खाता विवरण देख/डाउनलोड कर सकते हैं।

6. अकाउंट फ्रीज करने का क्या मतलब है? मैं यह कैसे करूँ?

डीमैट अकाउंट में कोई भी लेन-देन संभव होने के लिए खाता धारक से एक मान्य निर्देश जरूरी है। साथ ही, डीपी के द्वारा निक्षेपागार सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियाँ मेकर चेकर सिस्टम के माध्यम से संभव होती हैं। फिर भी खाते में कोई भी अवांछित लेन-देन पर रोक लगाने के लिए डीमैट खाता धारक डीपी को एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करके अपना डीमैट खाता फ्रीज कर सकता है। निम्नलिखित प्रकार के फ्रीज उपलब्ध हैं -

a. केवल डेबिट के लिए फ्रीज - डीमैट खाता धारक अपने डीपी को एक फ्रीज निर्देश प्रस्तुत करके केवल डेबिट के लिए खाता फ्रीज कर सकता है। हालाँकि, फ्रीज की अवधि के दौरान, खाता धारक को बोनस या किसी अन्य निगमित कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट मिलते रहेंगे।

b. डेबिट और क्रेडिट दोनों के लिए फ्रीज - डीमैट खाता धारक डेबिट और क्रेडिट दोनों के लिए खाता फ्रीज कर सकता है। खाता धारक द्वारा अनफ्रीज निर्देश जारी न करने तक खाते में न डेबिट और न ही क्रेडिट किए जा सकते हैं। यह सुविधा उन ग्राहकों के लिए उपयोगी है जो एक लंबे समय तक अपने खाते का उपयोग नहीं करते। अपने खाते को डेबिट और क्रेडिट दोनों के लिए फ्रीज करके वे अपने खाते में अनुचित क्रेडिट से बच सकते हैं और साथ ही डेबिट भी रोक सकते हैं।

c. खाते में विशिष्ट आईएसआईएन (ISIN) को फ्रीज करना - खाता धारक पूरे खाते को फ्रीज किए बिना एक विशिष्ट आईएसआईएन (ISIN - किसी विशेष कंपनी की प्रतिभूति) या तो 'डेबिट' के लिए या 'डेबिट एवं क्रेडिट' दोनों के लिए फ्रीज कर सकता है। यदि इस प्रकार की फ्रीज सुविधा का उपयोग किया गया तो खाते की अन्य सभी प्रतिभूति डेबिट या क्रेडिट की जा सकती हैं लेकिन विशिष्ट आईएसआईएन (ISIN) के अंतर्गत प्रतिभूति क्रमशः 'डेबिट' या 'डेबिट एवं क्रेडिट'के लिए फ्रीज हो जायेंगी। ग्राहक अपने डीमैट खाते में पड़ी अन्य प्रतिभूति का उपयोग करने में सक्षम होगा और उस आईएसआईएन (ISIN) में क्रेडिट भी प्राप्त करता रहेगा जिसे केवल डेबिट के लिए फ्रीज किया गया है।

d. खाता धारक खाते में किसी विशिष्ट प्रतिभूति की एक विशिष्ट संख्या को फ्रीज कर सकता है।

7. यदि मेरा डीपी दिवालिया हो गया या वह परिचालन बंद कर दे तो क्या होगा?

आपके डीपी के दिवालिया हो जाने या परिचालन बंद कर देने की स्थिति में डीमैट खाता धारकों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी शेष प्रतिभूति को अपनी पसंद के किसी अन्य डीपी के पास ट्रान्सफर करने या उन्हें पुनःभौतीकृत करने का विकल्प दिया जाएगा।

8. निक्षेपागार प्रणाली में डेटा की रक्षा करने के लिए एनएसडीएल (NSDL) क्या सावधानियाँ बरतता है?

एनएसडीएल (NSDL) के लिए डेटा सुरक्षा एवं डेटा अखंडता अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे सर्वोच्च महत्व दिया जाता

है। इस मामले में एनएसडीएल (NSDL) उच्चतम मानकों का पालन करता है। डीपी के लिए भी सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों का पालन करना जरूरी है ताकि ग्राहकों के डेटा एवं परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखा जा सके।

इस मामले में एनएसडीएल (NSDL) द्वारा किए गए उपायों में से कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं -

a. डीपी स्तर एवं निक्षेपागार स्तर पर डेटा के दैनिक बैकअप की जरूरत।

b. डीपी एवं निक्षेपागार दोनों के द्वारा बैकअप को दैनिक आधार पर स्थानीय रूप से तथा दूरस्थ स्थान पर रखा जाता है।

c. एनएसडीएल (NSDL) एक बैकअप साइट के साथ-साथ एक डिजास्टर रिकवरी साइट भी बनाए रखता है ताकि कोई बाधा आने पर भी परिचालन जारी रखा जा सके।

d. डेटा संभाल एवं साइबर सुरक्षा रूपरेखा के संबंध में सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों का पालन किया जाता है।

e. निक्षेपागार अवसंरचना के लिए उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों, संचार प्रणालियों आदि के लिए वैकल्पिक (फॉल बैक) प्रक्रिया।

f. डेटा पेशेवर और योग्य विशेषज्ञों द्वारा अत्याधुनिक डेटा केंद्र में स्टोर किया जाता है।

g. विभिन्न स्तरों पर तार्किक एवं भौतिक पहुँच बाधाएँ अपनाई जाती हैं।

h. निक्षेपागार प्रणाली में महत्वपूर्ण डेटा एंट्री के लिए मेकर चेकर सिस्टम का पालन किया जाता है।

i. एनएसडीएल (NSDL) ने आईएसओ - 27001 प्रमाणीकरण (सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए) एवं आईएसओ 22301 : 2012 प्रमाणीकरण (व्यावसायिक निरंतरता प्रबंधन तंत्र के लिए) प्राप्त किए हैं जो उद्योग के सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों का अनुपालन दर्शाता है।

9. एनएसडीएल (NSDL) किस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि डीपी नियत जरूरतों का पालन करें?

एनएसडीएल (NSDL) सभी डीपी का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करता है। साथ ही, उन्हें अपने निक्षेपागार परिचालनों के ऑडिट के लिए एक स्वतंत्र एवं योग्य ऑडिटर की नियुक्ति करनी पड़ती है। ऐसे ऑडिट की रिपोर्ट वर्ष में दो बार एनएसडीएल (NSDL) को अग्रेषित करनी चाहिए। सेबी द्वारा भी डीपी का निरीक्षण किया जाता है।

10. क्या एनएसडीएल (NSDL) किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा नियमित है?

एनएसडीएल (NSDL) को सेबी द्वारा प्रतिभूति निक्षेपागार के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। एनएसडीएल (NSDL) सेबी द्वारा आवधिक निरीक्षण तथा साथ ही, कम्पनीज एक्ट, 2013 के अनुसार अन्य लागू ऑडिट के अधीन है।

11. क्या निक्षेपागार परिचालनों के लिए कोई बीमा है?

एनएसडीएल (NSDL) सभी डीपी की ओर से बीमा प्राप्त करता है।

अधिक सूचना

प्राप्त नहीं किए गए लाभांश/शेयर के लिए वापसी का दावा करना

सभी लाभांश और शेयर जो किसी भी कारणवश लगातार सात वर्षों के लिए भुगतान या दावा न किए गए हैं वे संबंधित कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा व सुरक्षा निधि (IEPF) में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। आईईपीएफ एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है।

निवेशक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को भुगतान न किया गया लाभांश और दावा न किए गए शेयर प्राप्त करने के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण के पास दावा प्रस्तुत करना होगा। दावे के सत्यापन के बाद कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के पास दावे का पुष्टिकरण करेगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के माध्यम से दावाकर्ता के बैंक खाते में उसके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू होगी। यदि दावा शेयर के लिए है तो उन्हें दावा प्रपत्र में बताए गए डीमैट खाते में क्रेडिट किया जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया और जरूरी कागजात नीचे चित्र संख्या 8 में दर्शाए गए हैं। एक आवेदक एक वित्त वर्ष में हर कंपनी के लिए एक दावा प्रपत्र फाइल कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया http://www.iepf.gov.in/ पर जाएँ। यह जानना महत्वपूर्ण है कि सभी कंपनियों के लिए अपनी वेबसाइट पर दावा न किए गए शेयर एवं लाभांश के विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य है।

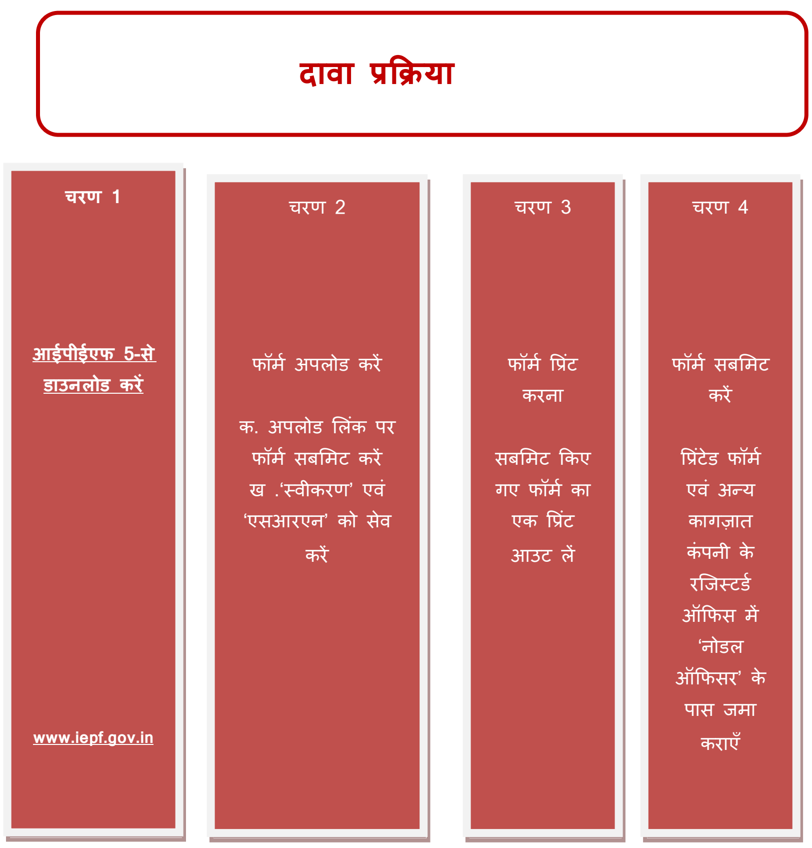

दावे के सत्यापन के बाद रिफंड राशि दावाकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से या उसके डीमैट खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
चित्र 8

प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए डीमैट की अनिवार्यता

सेबी ने आदेश दिया है कि 1 अप्रैल, 2019 से सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों का हस्तांतरण केवल डीमैट रूप में होगा। दूसरे शब्दों में, यदि आपके पास किसी सूचीबद्ध कंपनी के शेयर भौतिक रूप में हैं और आप उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करना चाहते हैं तो आप दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से यह काम उन्हें डीमैट रूप में बदलने के बाद ही कर सकते हैं। इस तिथि से भौतिक रूप में धारित शेयर आदि के लिए केवल पारेषण (Transmission - यानी शेयरधारक की मृत्यु होने पर शेयर का हस्तांतरण) और प्रतिस्थापन (Transposition - यानी शेयरधारकों के नाम का क्रम बदलना) की अनुमति है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, डीमैट खाता खोलना और अपने शेयर को डीमैट रूप में बदलना उपयोगी होगा।

गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों के लिए डीमैट अनिवार्य है

निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 10 सितम्बर, 2018 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें यह आदेश

किया गया था कि गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों को निक्षेपागार प्रणाली में शामिल होना होगा और अपने शेयर डीमैट में उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा इन कंपनियों द्वारा शेयर केवल डीमैट रूप में ही जारी किए जा सकेंगे। ये दोनों जरूरतें दिनांक 2 अक्टूबर, 2018 से प्रभावी हैं। ऐसी कंपनियों में शेयरधारक अपने शेयर को डीमैट में बदलकर संबंधित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दें कि यदि आपके पास पहले से एक डीमैट खाता है तो आपको ये शेयर डीमैट करने के लिए दूसरा डीमैट खाता खोलने की जरूरत नहीं है। आपके जो निवेश कागजी रूप में हैं उन्हें उसी डीमैट खाते में डीमैट रूप में बदला जा सकता है, बशर्ते शेयर धारक एक समान हों।

निवेशक जागरूकता कार्यक्रम

एनएसडीएल (NSDL) देश भर में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। ऐसे कार्यक्रमों की समय-सारणी https://nsdl.co.in/Investor-Awareness-Programmes.php पर उपलब्ध है। यदि आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी, इंस्टिट्यूट, कंपनी या शहर में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं तो हमें info@nsdl.co.in पर अवश्य लिखें।

निवेशकों के लिए एनएसडीएल (NSDL) समाचार पत्र

एनएसडीएल (NSDL) एक मासिक समाचार पत्र 'द फाइनेंशियल केलिडोस्कोप' प्रकाशित करता है जिसका उद्देश्य निवेशकों एवं डीमैट खाता धारकों को एनएसडीएल (NSDL) के विभिन्न उत्पादों/ सेवाओं तथा निक्षेपागार की अन्य मुख्य सुविधाओं के बारे में अपडेट करना है। आप https://nsdl.co.in/e-newsletter.php पर अपना ईमेल आईडी प्रदान करके इसकी सदस्यता ले सकते हैं।

इस समाचार पत्र के सभी संस्करण https://nsdl.co.in/publications/nest.php पर उपलब्ध हैं।

शिकायत निवारण

सेबी तथा एनएसडीएल (NSDL) दोनों के पास निवेशकों की शिकायतों को संबोधित करने के लिए एक औपचारिक प्रणाली है। कोई समस्या या शिकायत होने पर मामले को पहले अपने शेयर दलाल / डीपी के पास ले जाना बेहतर होगा। आपके शेयर दलाल / डीपी के संपर्क विवरण उनके द्वारा प्रदान किए गए कागजातों में या उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। यदि आप उनके द्वारा प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं या वे समय सीमा के भीतर कोई समाधान प्रदान नहीं करते तो आप मामले को संबंधित स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार तक ले जा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप सेबी के पास इसकी शिकायत https://scores.gov.in/scores/Welcome.html पर ऑनलाइन कर सकते हैं। आप एनएसडीएल (NSDL) को अपने डीमैट खाते से जुड़े मामलों / शिकायतों के बारे में इस पुस्तिका में दिए गए डाक पते पर भी लिख सकते हैं।

निवेशक केन्द्रित अन्य सेवाएँ

राष्ट्रीय कौशल रजिस्ट्री (NSR)

एनएसआर एक वेब-आधारित प्रणाली है जिसमें भारतीय आईटी एवं आईटीईएस/ बीपीओ उद्योग के वर्तमान एवं संभावित कर्मचारियों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। यह नैसकॉम (NASSCOM) की ओर से की गई पहल है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://nationalskillsregistry.com/ पर जाएँ।

केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी (केआरए)

निवेशकों के केन्द्रिकृत केवाईसी रिकॉर्ड अपलोड और डाउनलोड करना। अधिक जानकारी के लिए, कृपया

https://kra.ndml.in/ पर जाएँ।

राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (NAD)

विद्यार्थियों, सत्यापकों एवं शैक्षिक संस्था के लिए अधिप्रमाणित शैक्षिक प्रमाणपत्र। अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://nad.ndml.in/ पर जाएँ।

एनआईआर खाता (ई-बीमा खाता)

एनडीएमएल ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की ओर से नेशनल इंश्योरेंस रिपॉजिटरी की स्थापना की है। यह एक ई-इंश्योरेंस अकाउंट (ई-बीमा खाता) है जो सभी प्रकार की बीमा पॉलिसियाँ रखने की सुविधा देता है तथा बीमाकृत व्यक्ति को केवल एक लॉग इन से सभी बीमा पॉलिसियों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम करता है। यह खाता निःशुल्क खोला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.nir.ndml.in/ पर जाएँ।

उपर्युक्त सेवाएँ एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड (एनडीएमएल) द्वारा प्रदान की जाती हैं जो एनएसडीएल (NSDL) की 100% सहायक कंपनी है।

एनएसडीएल (NSDL) से संपर्क करें

- किसी प्रश्न या शिकायत के लिए - https://www.epass.nsdl.com/epass/complaints/websitecomplaints.aspx

- शिकायत के लिए ईमेल आईडी - relations@nsdl.co.in

- अन्य जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए ईमेल आईडी - info@nsdl.co.in

- डीमैट खाता धारकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन - 1800 222 990

एनएसडीएल (**NSDL**) कार्यालय

मुख्य कार्यालय	ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कम्पाउंड, लोअर परेल, मुंबई - 400013 दूरभाष - (022) 24994200
शाखा कार्यालय	
अहमदाबाद	402, चौथी मंजिल, हेरिटेज होरीजॉन, आफ सी. जी. ऱोड, नवरंगपुर, अहमदाबाद - 380009 दूरभाष - (079) 26461375
बेंगलुरु	ऑफिस नंबर 106, डीबीएस हाउस 26, कनिंगगम रोड, बेंगलुरु - 560052

	दूरभाष - (080) 40407106
चेन्नई	6 ए, छठी मंजिल, केन्सेस टॉवर्स, #1 रामकृष्ण स्ट्रीट, नॉर्थ उस्मान रोड, टी. नगर, चेन्नई - 600017 दूरभाष - (044) 2814 3917/11
हैदराबाद	ऑफिस नंबर 123, हैदराबाद रिगस मिड-टाउन, पहली मंजिल, मिड टाउन प्लाजा, रोड नंबर 1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद- 500033 दूरभाष - (040) 44334178
कोची	सुइट नंबर S - 105, मोनलैश बिजनेस सेंटर, चौथी मंजिल, क्रेसेंस टॉवर, एनएच 47, चंगमपुज्हा नगर पोस्ट, कोची - 682033 दूरभाष - (0484) 2933075
कोलकाता	यूनिट 2 ई, दूसरी मंजिल, द मिलेनियम, 235/2ए, ए. जे. सी. बोस रोड, कोलकाता - 700020 दूरभाष - (033) 22904243 (033) 22904246
नई दिल्ली	यूनिट नंबर 601, 603, 604, छठी मंजिल, टॉवर -ए, नौरंग हाउस, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 दूरभाष - (011) 23353814 (011) 23353815

उपयोगी लिंक

http://www.ncfe.org.in/

https://investor.sebi.gov.in/

https://www.irdai.gov.in/

https://www.nism.ac.in/

https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=854

https://www.rbi.org.in/FinancialEducation/Home.aspx

www.nsdl.co.in

उपयोग किए गए संक्षेपाक्षर

BDSA	बेसिक सर्विस डीमैट एकाउंट
BSE	बीएसई लिमिटेड (पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से परिचित)
CAS	समेकित खाता विवरण
CKYC	केन्द्रीय केवाईसी
CRS	कन्वर्शन रिक्वेस्ट प्रपत्र
DIS	वितरण निर्देश पर्ची
DP	निक्षेपागार भागीदार
DRF	अभौतिकीकरण अनुरोध प्रपत्र
G-Sec	सरकारी प्रतिभूतियाँ
IDeAS	इन्टरनेट आधारित डीमैट खाता विवरण
IEPF	इन्वेस्टर एजूकेशन एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी
IFSC	इंडियन फाइनेशियल सिस्टम कोड
IPO	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
IRDI	इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
ISIN	अंतरर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या
KRA	केवाईसी पंजीकरण एजेंसी
KYC	अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी)
LAS	शेयर्स के बदले ऋण
NAD	नेशनल अकैडमिक निक्षेपागार
NDML	एनएसडीएल (NSDL) डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड
NFO	न्यू फंड ऑफर
NIR	नेशनल इंश्योरेंस रिपॉजिटरी
NRI	अनिवासी भारतीय
एनएसडीएल (NSDL)	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
NSE	इंडियन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
NSR	नेशनल स्किल रजिस्ट्री
PAN	स्थाई खाता संख्या
POA	पॉवर ऑफ अटॉर्नी
RRF	रीमैटीरियलाइजेशन रिक्वेस्ट प्रपत्र
रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार टु एन इश्यू एंड शेयर टु ट्रांसफर एजेंट
SEBI	सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
SGB	सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
SIP	सिस्टमेटिक इनवेस्टमेंट प्लान
SLBS	प्रतिभूतियाँ उधार देने व लेने की योजना
SMS	शार्ट मैसेज सर्विस
SOA	स्टेटमेंट ऑफ एकांउट

यह प्रकाशन एनएसडीएल (NSDL) इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट की एक पहल है।

अस्वीकरण - यह पुस्तिका एनएसडीएल (NSDL) द्वारा निवेशकों के सामान्य हित को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस पुस्तिका में प्रदान की गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से संकलित की गई है और इसका उपयोग निवेश संबंधी निर्णय लेने और कानूनी कार्यवाहियाँ करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह पुस्तिका लागू समस्त नियमों आदि पर आधारित होने का दावा नहीं करती है। पाठकों से निवेदन है कि वे इस पुस्तिका का उपयोग केवल शैक्षिक

प्रयोजनों के लिए ही करें। एनएसडीएल (NSDL) एवं उसकी सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी https://nsdl.co.in/ पर उपलब्ध है।

यदि आपको इस पुस्तिका में कोई त्रुटि दिखाई दे, तो कृपया हमें info@nsdl.co.in पर सूचना दें।

संस्करण - अगस्त 2019

डीमैट खाता धारकों के लिए ई-गाइड